आवास भारती

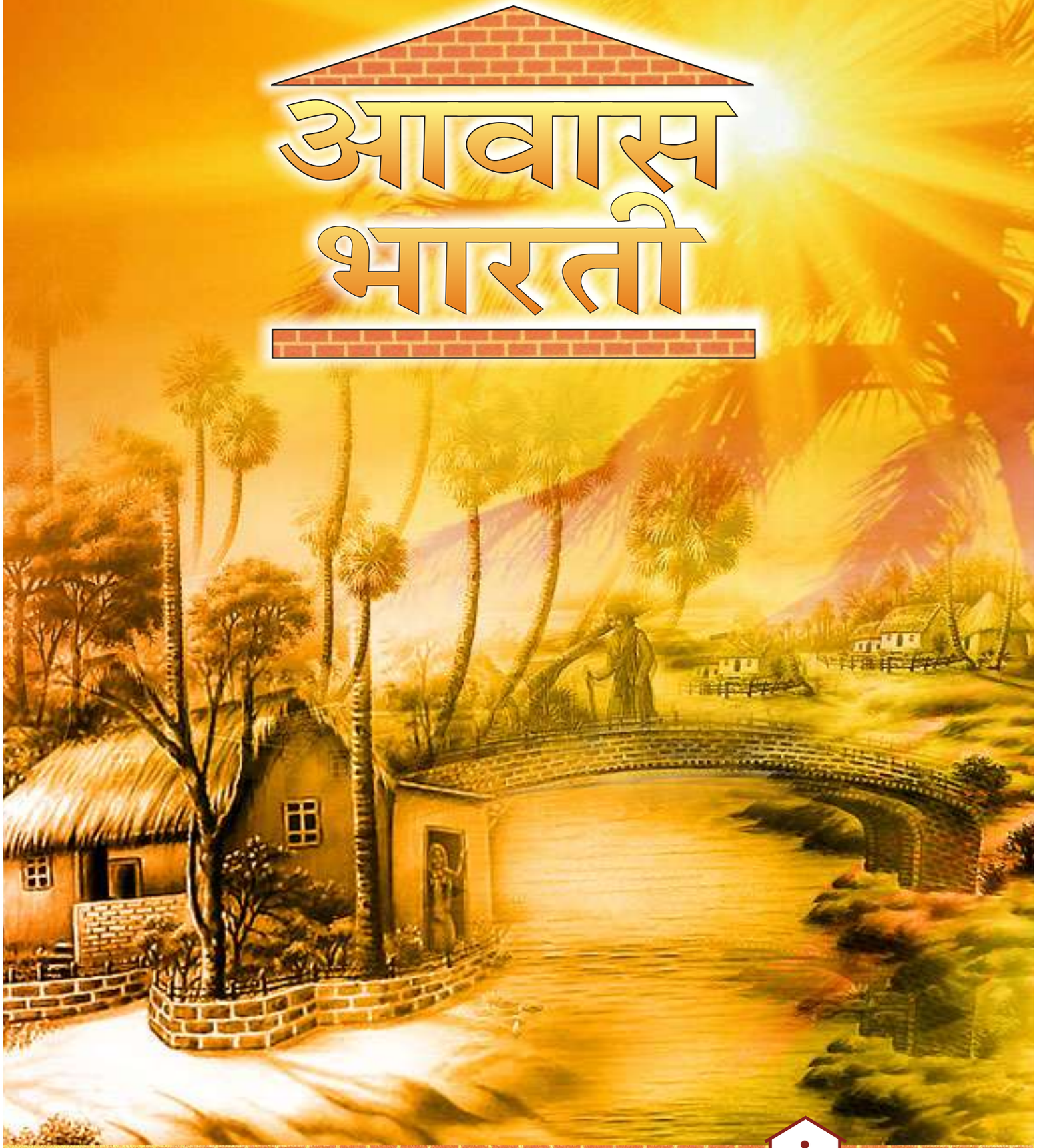

वर्ष 8, अंक 29
अक्तूबर - दिसम्बर, 2008

राष्ट्रीय
आवास बैंक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के तत्त्वावधान में गठित

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(संयोजक : पंजाब नैशनल बैंक, प्र.का., नई दिल्ली)

अंत: बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता (वित्तीय संस्थानों हेतु)

वर्ष 2007-08

प्रमाण–पत्र

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्त्वावधान में आयोजित उपर्युक्त प्रतियोगिता में राष्ट्रीय आवास बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदत्त।

दिनांक 22.12.08

राजीव
अध्यक्ष
दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

आवास भारती

वर्ष 8, अंक-29, अक्तूबर-दिसम्बर, 2008

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

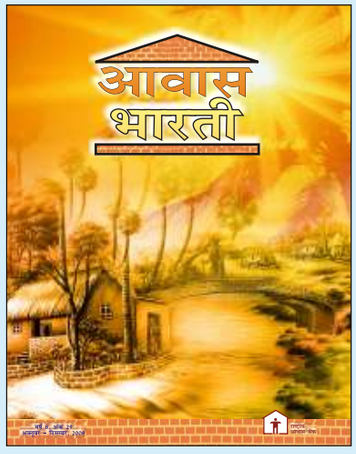

प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सुरेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक

संयुक्त संरक्षक

राकेश भल्ला, महाप्रबंधक

संपादक

रंजन कुमार बरुन, प्रबंधक

सहायक संपादक

अमर सिंह सचान, (हिन्दी अधिकारी)

संपादक मंडल

सौरभ शील, क्षेत्रीय प्रबंधक

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

पीयूष पांडेय, उप प्रबंधक

श्री अरविंद, उप प्रबंधक

लता रस्तोगी, सहायक प्रबंधक

सुकृति वाधवा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय		पृष्ठ सं.
1.	संयुक्त संक्षरक की कलम से	2
2.	बैंकिंग के बदलते परिदृश्य में जोखिम प्रबंधन	3
3.	महानगरीय समस्या - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	6
4.	आवास की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक का जन्म	9
5.	सबके लिए शिक्षा : वैश्विक प्रयास व भारत का सर्वशिक्षा अभियान	13
6.	यह है मुंबई नगरिया....	17
7.	भारत के प्रदेश - महाराष्ट्र	20
8.	आवास के क्षेत्र का एक अग्रणी अंतराष्ट्रीय संस्थान: आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान	22
9.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	24

संयुक्त संरक्षक की कलम से

आज फिर कार्यालय आते समय कुछ देर हो गई क्योंकि जब कार लाल बत्ती से आगे बड़ी तो ट्रैफिक पुलिस मैन ने मेरी कार को हाथ देकर रोक लिया एवं बड़ी ही विनम्रता से मुझसे प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाने का आग्रह किया, शायद यह विनम्रता इसलिए भी थी क्योंकि; गाड़ी बैंक की थी एवं कार पर बैंक का नाम भी लिखा था। मैंने तत्परता से कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र उन्हें दिखाया एवं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैंने देखा रास्ते के दूसरी तरफ एक बच्चा भीख मांग रहा है तो दूसरी तरफ एक दीन-हीन कृशकाय वृद्ध आदमी अपने हाथ सहायता के लिए पसार रहा है। उसी क्षण मन में यह विचार आया कि क्या सच में हम प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं और सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या वे उपाय सही दिशा में हैं? क्या हल के लिए सही दिशा की ओर अग्रसर होंगे और क्या आज जन-मानस को सिर्फ वायु प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। यह सोचते हुए नज़र हाथ में रखे हिन्दी के दैनिक हिन्दुस्तान पर पड़ी तो पाया पहली खबर आतंकबाद के बारे में है तो दूसरी खबर में महिलाओं की समाज में असुरक्षा की चर्चा हो रही है तो तीसरी खबर वित्तीय घोटाले के बारे में है।

मन यह सोचने पर विवश हो गया कि ये सभी समाजिक व्याधियाँ भी तो सामाजिक प्रदूषण के ही विभिन्न रूप हैं। हमें यह सोचना होगा कि हम वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ सामाजिक प्रदूषणों को दूर करने के लिए भी तत्पर हों एवं आन्तरिक स्वच्छता, अच्छे विचार, सद्कर्म पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

आज जिन्दगी इतनी व्यस्त हो गयी है कि हम सभी यह सोचते हैं कि समाजिक बुराइयों को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, दूसरे की है या सरकार की है। इसी सोच के चलते कोई कुछ नहीं करता एवं समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। आदमी की जिन्दगी में पैसा तो बढ़ता है परन्तु नैतिक मूल्य घटते जाते हैं एवं इन्हीं सभी का असर समाज में आगे आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है और मैं अपनी दूरदर्शी दृष्टि से यह देख सकता हूं कि अगर समय रहते हुए कुछ नहीं किया गया तो आने वाला समय देश के लिए सकारात्मक नहीं होगा।

आज हम यह देखते हैं कि सभी स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि पटाखों का इस्तेमाल न करें ताकि वायु प्रदूषण कम हो; परन्तु हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं बनता कि हम सामाजिक प्रदूषणों, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है, उनकी रोकथाम के लिए अपने आचार-विचार में परिवर्तन लायें एवं वर्ष 2009 में यह संकल्प लें कि समाजिक बुराइयों को दूर करने में हम अपना तन-मन से सहयोग देंगे एवं देश में एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध होंगे।

राकेश भल्ला
महाप्रबंधक

बैंकिंग के बदलते परिदृश्य में जोखिम प्रबंधन

-राम नारायण चौधरी
स. प्रबंधक

औद्योगीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से छलांग लगाते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है।

भारत की विशाल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मध्यवर्ग तथा उच्च आय वर्ग वाली श्रेणी की परिधि में तेजी से प्रवेश कर रहा है। परिणामत: व्यक्ति की आय बढ़ने से इन्हें उच्च शिक्षा स्तर तथा रहसन-सहन, बेहतर जीवन शैली की आकांक्षाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले के उत्पादों तथा सेवाओं की ओर अग्रसर किया है। इसको सम्मिलत प्रभाव ने बैंकिंग क्षेत्र में भी क्रांति उत्पन्न कर दी है। लगभग तीन दशक पूर्व तक बैंकों का कार्यक्षेत्र सीमित था तथा उस पर केन्द्रीय बैंक का अधिक नियंत्रण था। अत: उन्हें न किसी से तीव्र प्रतिस्पर्धा का भय था, न तो न्वोन्मेष का कोई अवसर।

बैंकों को राष्ट्रीयकरण तथा उदारीकराण के बाद बैंकों के स्वरूप तथा कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आये। बैंकों तथा गैर परिवर्तन के आये। बैंकों तथा गैर बैंकिग संस्थाओं ने लाभ कमाने के नयैविकल्प तथा नये-नये अत्पादों तलाशने शुरू कर दिए। जहाँ एक ओर बैंकों ने प्रतिभूति बाजार, बीमा, उद्योग, मुद्रा बाजार, वितीय सेवाओं तथा औद्योगिक पूंजी में निवेश किया है, वहीं दूसरी ओर बैंक आवास ऋण, पारस्परिक निधि (म्युचल फंड), क्रेडिट कार्ड कारोबार तथा निर्गम प्रबंधन आदि कारोबारों के लिए अपनी अनुकर्म्वान्योंगी चला रहे हैं। जोखिम व्यवसाय का अभिन्न अंग तथा एक अनिवार्य सत्य भी है। बैंकिग व्यवसाय में मुख्यत: वित का लेन-देन चलता रहता है। जहाँ वित होता है, वहां जोखिम स्वत: उत्पन्न हो जाता है। बैंकों की कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भता जोखिम ने आसार बढ़ा दिए हैं। अत: पिछले तीन-चार दशकों में सामाजिक बैंकिग से शुरू होकर उद्योग सम्मेलन, मशीनीकरण, उदारीकरण, अविनियमन, विवेक सम्मत मानदंड, पूंजी पर्याप्पता, आस्ति देयता प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसके बाद बैंकों ने जोखिम प्रबंधन को अपने उद्देश्यों में समाहित किया है।

जोखिम क्या हैं?

घटना को घटित या न होने के कारण होने वाली संभावित हानि को ही जोखिम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ''जोखिम भविष्य में होने वाली वह घटना (हानि से संबंधित) है जो कि अभी वर्तमान में किए जा रहे कार्यों कार्यविधि के कारण उत्पन्न होती है।'' बैंकों तथा वितीय संस्थानों द्वारा अधिक लाभ तथा धन कमाने की इच्छा जोखिम उठाने को प्रेरित करती है, किन्तु गलत जगह तथा अविवेकपूण ढंग से की गई निवेश से न सिर्फ हानि उठानी पड़ती है, अपितु बैंक की पूंजी का ह्रास होता है। यदि पूंजी ह्रास व्यापक पैमाने पर हो तो ये संस्थाएँ दिवालिया हो जाती हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न सब-प्राइम संकट तथा बहु वितीय संस्थान लेहमन ब्रदर्स, द्वारा दी गई अधांधुध ऋण की वहज से उत्पन्न दयनीय वितीय स्थिति से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ग्लोबस ट्रस्ट बैंक भी इसका उदाहरण है जिसने अंधाधुंध ऋणों को प्रदान करने तथा अदूरदर्शितापूर्ण निवेश में अपनी पूंजी डुबा को दिया।

बैंक जोखिम के प्रकार

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा वितीय बाजारों के अविनियमन के कारण बैंकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है। जिसने अस्थिरता को जन्म दिया है। अत: बैंको को अपने अस्त्वि को बचाने हेतु नित नये उत्पाद तथा परिचालन लागत को कम करने की महती आवश्यकता है ताकि बैंक विपरीत परिस्थितियों में अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपनी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता व कार्यदक्षता को सिद्ध कर सकें। इस प्रकार बैंकिग परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की जोखिम बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती है। इसी क्रम में बैंकों तथा वितीय संस्थानों को कई प्रकार के जोखिमों को सामना करना पड़ता है।

जोखिम परम्परागत तथा अपरम्परागत दोनों हो सकते हैं। परम्परागत जोखिम आर्थिक घटकों, जैसे सकल घरेलू उत्पाद ब्याज दर, प्रसार की दर आदि में परिवर्तन कारण उत्पन्न होते हैं। यह किसी भी फर्म या संस्था के नियन्त्रण से बाहर होते हैं।

अपरम्परागत जोखिम के अन्तर्गतत ऋण जोखिम, परिचालनगत जोखिम, पूंजी पर्याप्ता जोखिम, व्यापारिक जोखिम, प्रबंधकीय जोखिम, विनिमय दर जोखिम, धोखाधडी एवं जालसाजी जोखिम, वितीय जोखिम, सार्वभोमिकता का जोखिम आदि आते हैं।

परिचालनगत जोखिम

विभिन्न संगठनात्मक कार्यों के समन्वय के अभाव में परिचालनगत जोखिम उत्पन्न होता है। इस तरह के जोखिम में प्रौद्योगिकी, तकनीकी उन्न्यन, नये उत्पाद का प्रवेश, धोखाधड़ी/कपट, प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव आदि शामिल है। बैंकों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कम्प्यूटरों तथा संसूचना प्रौद्योगिकी पर

बढ़ते निर्भरता ने जोखिम उत्पन्न होने की सम्भावना को बढ़ा दिया है। कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने, संशोधित करने के दौरान भूल या आंकड़े (डेटा) दर्ज करने में मामूली चूक होना, लेन-देनों तथा तैयार की जाने वाल रिपोर्ट की सम्पूर्णता एवं यथार्थता को प्रभावित कर देती है। इसकी हानि अन्ततः बैंक का हो उठानी पड़ती है। पूर्णतः तकनीकी आधारित तथा कम्प्यूटरीकृत शाखा में कार्य-परिचालन के दौरान किसी प्रकार की संचार प्रणाली अचानक असफल होने से बैंक के कार्यकलापों से कारोबार में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यदि कम्प्यूटर तकनीक तथा संबंधित मूलभूत सुविधाएँ पर्याप्त रूप से संरक्षित न हो तथा स्टाफ कम्प्यूटर एवं अपनायी जाने वाली अन्य प्रौद्योगिकी में पूर्णतः प्रशिक्षित तथा कुशल न हो तो कार्यप्रणाली निपटान में अनावश्यक देरी ग्राहक असंतुष्टी को जन्म देती है जो बैंकों की कारोबर तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

धोखाधड़ी एवं जालसाजी जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा बहियों में गड़बड़ी, कपटपूर्ण भुगतान लेना या प्रयास करना, मिथ्या वर्णन की घटनाएँ, विश्वास भंग, प्रतिभूतियों का अनाधिकृत रूप से प्रयोग खाते में अनियमितताएं, ठगी अथवा छल, चोरी आदि को धोखाधड़ी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भयानक दुष्परिणाम बैंकों को झेलना पड़ता है। बैंक की साख को तो धक्का लगता ही है साथ ही बिना वजह कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है। इससे बैंक की धन, जन एवं समय तीनों की बर्बादी होती है। इन्टरनेट बैंकिग में धोखाधड़ी के अनेकों मामले उजागर होते रहते हैं।

पूंजी पर्याप्त जोखिम

बैंकिंग व्यवसाय में पूंजी की अनिवार्यता सार्वभौमिक सत्य है। जैसे जैसे बैंक के व्यवसाय का विस्तार होता है वैसे वैसे नई नई शाखाएं खुलती जाती है, नये कार्य शामिल होते हैं, नवीन उत्पादों का आगमन होता है। बैंक का प्रयास होता है कि व्यवसाय में सिर्फ लाभ हो। इसके किसी क्रियाकलाप का अनुकूल तथा प्रतिकुल प्रभाव बैंक की पूंजी पर ही पड़ता है। इन अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने हेतु बैंक का पूंजीगत आधार पर्याप्त तथा सूक्ष्म होना चाहिए। बासेल समझौता न्युनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात (सी.ए.आर.) रखने हेतु बैंकों को निर्देश करता है। नरसिंहम् समिति ने बैंकों को न्यूनतम पूंजी आधार कायम रखने हेतु सिफारिश की थी। यदि पूंजीगत आधार मजबूत होगा तो बैंक अधिक लाभ की इच्छा में जोखिम उठा सकते हैं।

व्यापारिक जोखिम

भूमण्डलीकरण तथा आर्थिक वातावरण में सामामजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों वश बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ब्याज दर तथा विनिमय दर में लगातार उतार-चढाव होता रहता है, जिससे बैंकों की आय लगातार प्रभावित होती रहती है। इस प्रकार बैंकों को प्रतिस्पर्धा के माहौल में व्यापारिक जोखिम का सामना निरन्तर करना पड़ता है।

प्रबंधकीय जोखिम

किसी भी बैंक या संस्था का भविष्य तथा सफलता उसके प्रबंधन तथा उसमें कार्यरत कर्मचारी अधिकारी पर निर्भर करता है। प्रबन्धन संस्था की जीवन रेखा होती है। प्रबंधन दल सदस्यों को प्रर्याप्त अनुभवी, व्यापारिक दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। उनकी नीतियों तथा उठाये गये कदम से बैंक की सफलता-असफलता जुड़ी होती है। अदूरदर्शितापूर्ण पूर्ण नीति तथा गलत निवेश प्रक्रिया से भारत तथा विश्व के कई बैंक दिवालया हो चुके हैं। डाल ही में यू.एस.ए.में. ली. हेमेन बद्रर्स, ... की माली हालत उनके ऋण प्रदान करने तथा सही दिशा में निवेश नहीं करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है।

साख जोखिम

बैंकों को ग्राहक आकार्षित करने तथा उसमें विश्वास पैदा करने हेतु साख की आवश्यकता पड़ती है। लम्बे समय तक अथक प्रयास से प्राप्त किये गए साख को एक चोटी सी मूल ध्वस्त कर सकती है। साख किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा है। बाजार में अपनी पहचान तथा उपलब्धता हमेशा बनाये रखने के लिए बैंकिंग संस्थान के निदेशकमण्डल को उन सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे साख पर कभी भी बटा लगे। इस हेतु बैंकों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साख को कायम रखने तथा इसे संजोये रखने में संस्था के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों तथा अधिकारियों का योगदान अहम जरूरी है। साख की वजह से ही भारतीय जीवन बीमा निगम लम्बे समय से बीमा क्षेत्र में बेताज बादशाह बना हुआ है। संस्था की साख ग्राहक को आकर्षित करती है। इससे उत्पाद बेचने में आसानी हो जाती है।

सार्वभौमिक का जोखिम

उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण की वजह से दुनिया वैश्विक गाँव बन गयी है। इस दिशा में उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी-क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की भूमिका उल्लेखनीय है। विश्व की बड़ी-बड़ी बैंक भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं।

ये बैंक अपनी उन्नत तकनीकों की वजह से उत्पादों की कम मूल्यों पर उच्चगुणता के साथ ग्राहक को सेवाएँ मुहैया कराती हैं। इस स्थिति में भारत के छोटे छोटे बैंको को इस विशालकाय बैंक से

प्रतिस्पर्धा करना तथा टिके रहना गम्भीर समस्या है। अत: इन्हें बड़े बैंकों में विसम का जोखिम सार्वभौमिकता के कारण उत्पन्न हो गया है।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम हमारे दैनिक जीवन में, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों में विद्यमान है। कहावत है 'नोरिस्क नो गेन'। जोखिम चिन्ता की बडी बात नहीं है। यदि इससे कुशलता तथा विवेकपूर्ण ढंग से निपटा जाए तथा अधिकतम को लाभ की स्थिति में बदल दिया जाए। इसे बिल्कुल खत्म भी नहीं किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन बिल्कुल खत्म भी नहीं किया जा सकता है। जोखिम प्रबन्धन एक कला है और विज्ञान भी। जोखिम से बचने हेतु दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रथम, बैंक या गैर बैंकिग कम्पनी का पूंजी आधार कभी भी कमजोर न हो तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना तत्परता से हटकर कर सके तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना तत्परता से डटकर कर सकें। दूसरी, जोखिम का उचित प्रबन्धन हो। जोखिम प्रबन्धन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश किया जा सकता है जैसे कि संगठन का उत्कृष्ट ढांचा, जोखिम का अनुमान लगाने हेतु व्यापक दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन हेतु बैंक की नीति, ऋणों की स्वीकृति हेतु विवेकपूर्ण मापदण्ड सूचना प्रणाली और निवारण के उपाय।

कम्प्यूटरीकरण के परिवेश में जोखिम प्रबंधन हेतु सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित डाटा बेस विकसित सॉफ्ट्वेयर की आवश्यकता है जो विभिन्न प्रकार की सूचना जरूरत के हिसाब से दे सके। सूचना तन्त्र का सुव्यवस्थित तथा सूदृढ़ नेटवर्क शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विकसित किया जाना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में जनता की बचत तथा उनके द्वारा की गई निवेश से बैंक मजबूत पूंजी आधार जुटाती है। अत: बैंकों तथा उसके नियामक को चाहिए कि किसी भी प्रकार की जोखिम की सूचना समाचार पत्र, दूरदर्शन तथा निजी चैनलों, रेडियों द्वारा समय पर जनता को दी जानी चाहिए। ताकि गलत अफवाह के दरम्यान बैंकों के प्रति जनता का विश्वास तथा संबंध टिका रहे।

जोखिम प्रबंधन हेतु रणनीतियां एवं सुझाव

1. बैंकों को हमेशा मजबूत पूंजी आधार व पूंजी पर्याप्ता अनुपात बनाये रखनी चाहिए ताकि हर परिस्थितियों से किसी भी वक्त निपट सके।
2. कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा प्रबंधन तथा किसी प्रणाली में किसी प्रकार की शार्टकट विधि की गुंजाइश न हो। जोखिम से निपटने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण तथा सम्भावित विकल्पों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।
3. निदेशक मण्डल उच्च प्रबंधन द्वारा बैंक के जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापक तथा स्पष्ट रणनीतियां बनायी जाने चाहिए।
4. जोखिम प्रबंधन हेतु समिति। टीम हो जिसमें अनुभवी तथा विशेषज्ञ सदस्य हो। वे समय व परिस्थिति को देखते हुए तुरन्त आवश्यक निर्णय करने में समर्थ हो।
5. जोखिम प्रबंधन को रोजमर्रा की गतिविधियों / प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाया जाय।
6. प्रत्येक वर्ष प्रणाली एवं राजस्व की लेख परीक्षा होनी चाहिए। जबकि संगामी/आन्तरिक लेखा परीक्षा निरन्तर चलती रहनी चाहिए।
7. कम्पप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विस्तृत लेखा परीक्षा करनी चाहिए।
8. अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) को ऋण जोखिम प्रबंधन द्वार कुशलता से नियंत्रित किया जाए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जोखिम प्रबंधन करना प्रबंधक दल के सामने एक बड़ी चुनौती तो है लेकिन असाध्य नहीं। इस क्षेत्र पर हमेशा पैनी निगाहें रखने की जरूरत है। प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन की बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त कर वांछित लाभ अर्जित किया जा सकता है। जोखिम उद्यम सील कर की कसौटी है जिस पर खरे उत्तर का बैंक अन्तराष्ट्रीय मानदण्डों को प्राप्त कर अधिकतम लाभ के साथ अपनी छवि उज्ज्वल बना सकते हैं। समुद्र में मोती उन्हीं को मिलता है जो डुबकी लगाता है। उसे डुबकी लगाने की कला आनी चाहिए। उसी तरह व्यवसाय में लाभ कमाने हेतु जोखिम उठाना ही पड़ता है। इस जोखिम से लाभ उन्हीं को प्राप्त होगा जो इसके प्रबंधन में कुशल तथा अनुभवी हो।

महानगरीय समस्या - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट)

–रंजन कुमार बरून
उप प्रबंधक

प्रस्तावना

पिछले कुछ समय में महानगरों के सम्मुख एक समस्या जो बड़े ही विकराल रूप में उभरकर सामने आयी है वह यह कि महानगरों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। मानवीय क्रियाकलापों से बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट में जहां एक तरफ उर्जा एवं उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के असंख्य स्रोत छिपे हैं वही दूसरी तरफ इसका निपटान सही तरीके से नहीं करने की स्थिति में यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। आज विकसित एवं विकासशील दोनों ही देशों से कूड़े कचरे के सुरक्षित एवं सही प्रकार से निपटान के लिए गंभीरता से प्रयास किया जा रहे है।

भारत के संदर्भ में शहरों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। 1991 में जहां शहरी जनसंख्या कुल आबादी का 25.7 प्रतिशत थी वहीं 2001 में शहरी आबादी बढ़कर 285 मिलियन हो गई अर्थात् आज भारत की कुल आबादी का 27.75 प्रतिशत शहरों में वास करता है। बेहतर रोजगार के अवसरों एवं अन्य सुख सुविधाओं के आकर्षण में गांवों से लोगों का शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। परंतु इसी के साथ शहरों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट यानि घर से निकले, उद्योगों, वाणिज्य एवं बायो मेडिकल से व्युत्पन्न ठोस अपशिष्ट के सही प्रकार से निपटान की जरूरत तेजी से बढ़ती जा रही है।

ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं समस्या का वास्तविक स्वरूप

एक अनुमान के अनुसार भारतीय शहरों में एक दिन में 80,000 मीट्रिक टन या यूं कहिए कि एक वर्ष में 30 मिलियन मैट्रिक टन साल में निकलता है। देश के कुछ बड़े शहरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की एक स्थिति पर आईये नीचे नजर डालें :

विकसित देशों में जहां एक ओर तेजी से औद्योगिक प्रगति हो रही है वहीं ये देश इस प्रकार के अपशिष्टों के बेहतर एवं सुरक्षित निपटान के लिए प्रभावी प्रयास कर रहे हैं तथा इस प्रकार के अपशिष्टों को रिसाईक्ल करी पुन: प्रयोग में आने वाले उत्पाद बना रहे हैं वहीं भारत में इस प्रकार के अपशिष्टों को रिसाईक्ल न कर पाने का एम मुख्य कारण सरकारी प्रयास न होना, लोगों में जागरूकता न होना एवं सबसे बढ़कर यहां अपशिष्टों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग न करना है जिसके कारण रिसाईक्ल परियोजनाएं निष्फल हो जाती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कुछ नूतन प्रयास

वर्ष 1997-9 में शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों आदि में चलाए गए नेशनल क्लीन सिटी कैम्पेन के बाद कुछ जागरूकता इस क्षेत्र में आई है एवं विशेष रूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1998 के तहत कुछ नियम बनाए हैं जिनका विवरा इस प्रकार है :

1. Hazardous Wastes (Mgt. & Handling) Rules, 1989
2. Bio Medical Wastes (Mgt. & Handling) Rules, 1998
3. Re-Cycled Plastic (Manufacture & Usages) Rules, 1999A
4. Municipal Solid Wastes (Mgt. & Handling) Rules, 2000 (w.e.f. 3.10.02)

परंतु सचाई यह भी है कि इन नियमों के निर्माण से कुछ नहीं होगा। यह भी जरूरी है कि शहरी स्तर पर स्थानीय निकाय उक्त नियामें के परिपालन के लिए ठोस कदम उठाएं एवं सख्ती से इन नियमों को लागू किया जा जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंध की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हो सके।

विकसित एवं चुनिंदा विकासशील देशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध

लगभग सभी विकसित एवं चुनिंदा विकासशील में ठोस अपशिष्ट प्रबंध की दशा में काफी कार्य हुआ ळै। डेनमार्क, अमरीका, जर्मनी आदि विकसित देशों में इस दिशा में काफी कार्य हुआ है। इन देशों में बड़े ही सुनियोजि तरीके से ठोस अपशिष्ट को एकत्रण किया जाता है एवं तत्पश्चात् उसकी बायो डिग्रेडेबल, नान बायोडिग्रेडेबल आदि श्रेणियों में विभाजि किया जाता है। यह एकत्रण केवल आवासीय इकाइयों से नहीं बल्कि औद्योगिक इकाईयों, मेडिकल उत्पाद इकाइयों आदि से भी अपशिष्ट का एकत्रण किया

जाता है। एकत्रित अपशिष्टों को उनकी श्रेणी अनुसार रिसाइकल किया जाता है एवं पूरी प्रक्रिया के तहत अलग-अलग प्रकार के अपशिष्टों को कभी भी आपस में मिश्रित नहीं किया जाता है। जो अपशिष्ट रिसाईकल होने लायक नहीं होता उसको भराव आदि के काम में लाया जाता है।

हमारे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लि प्रस्तावित दृष्टिकोण एंव अपेक्षित कार्यवाई

आज के परिदृश्य में यह जरूरी हो गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध के संग्रहण, उपचार एवं उपयोग वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए एवं शीर्ष स्तरीय अपशिष्ट प्रबंध एकक का गठन किया जाए। इस संबंध में, उचित होगा कि पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तरीय अपशिष्ट प्रबंध एकक का गठन किया जाए। यह कार्य न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए बने कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें एव वर्तमान कानूनों में सुधार तथा नए कानून बनाये के लिए भी आवश्यक प्ररुप तैयार करे। इस राष्ट्रीय एकक द्वारा तैयार की गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को समूल रूप से एवं जरूरत पड़ने पर आंशिक संशोधनों के साथ राज्यों एवं महानगरों में अपनाया जाए एवं पर्याप्त मानीटरिंग की व्यवस्था की जाए।

स्थानीय स्तर पर की जाने वाली व्यवस्था

एक बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली के पूर्णतया विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है - जनता का सहयोग। आज चाहे अपशिष्ट को इकट्ठा करने की प्रक्रिया हो या उसे अलग-अलग रिसाईकल करने की एवं उसको वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने की, इन सभी प्रक्रियाओं की पूर्ण सफलता निर्भर करेगी तो जनता के सहयोग एवं सहसभागिता पर।

स्थानीय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए उठाए जाने वाले कदम

अपशिष्ट के श्रेणीकरण के लिए आवश्यक निर्देश :

स्थानीय स्तर पर यह जरूरी है कि जो सरकारी एजेंसी उस नगर या क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है वह सभी उद्योगों, अस्पतालों एवं परिवारों को ठोस अपशिष्ट के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करे कि उन्हें किस प्रकार से बायो डिग्रेडेबल एवं नान बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अलग-अलग कर रखना है।

ठोस अपशिष्टों का संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सरकारी तंत्र या गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद से घरो में, फैक्ट्रियों से, अस्पतालों एवं अन्य इकाईयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंध को इकट्ठा किया जाए एवं उन्हे क्षेत्रीय रिसाईक्लिंग केन्द्रों आदि में ले जाया जाए।

इस संबंध में, दिल्ली नगर निगम शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जहां घरों आदि में लोगों के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है कि वह अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को श्रेणी अनुसार दो भागों में बाटें एवं अलग-अलग कूड़ादानों में रखें एवं इन कूड़ादानों से अपशिष्ट उनके घर से संग्रहित किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम जैसी ही व्यवस्था अन्य राज्यों में भी की जानी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में विशेष रूप से कदम उठाए है एवं मुख्यत: बायो मेडिकल वेस्ट के उचित तरीके से निपटान के लिए निर्देश है कि :

- बायो मेडिकल वेस्ट को उसके निकलने के स्रोत पर रंगो द्वारा संकेतित थैली में अलग-अलग रखना चाहिए।
- नुकीली वस्तुओं को पंक्चर न होने वाले पात्रों में रखा जाए।
- इन अपशिष्टों को 48 घंटे के भीतर उपचारित किया जाना चाहिए।
- बायो मेडिकल वेस्ट के उत्पादन एवं निपटान का पूरा रिकार्ड रखना चाहिए।

समय के साथ यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में बयो मेडिकल वेस्ट के उचित निपटान के लिए बनाए गए नियमों एवं प्रक्रिया का पालन कड़ाई से किया जाए।

सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण

समय के साथ यह जरूरी हो जाता है कि महानगरों एवं बड़े नगरों में सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाए। वर्षों से हमारी पूरी सफाई व्यवस्था केवल सफाई कर्मचारियों पर ही निर्भर है। बड़े बड़े महानगरों में जहां रोज का करोडो टन वेस्ट निकलता है एवं सपुाई कर्मचारियों की सीमित श्रम शक्ति के कारण अपशिष्ट प्रबंध में दिक्कल आती है, ऐसी दशा में नवीन यंत्रों की मदद से इस कार्य को यिा जाना चाहिए तथा अगर जरूरत पड़े तो अन्य देशों में सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण में इस्तेमाल की गई तकनीक को आयात करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बेहतर परिणामों के लिए यह कार्य सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था का कार्य सक्षम प्राइवेट एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को भी सौंपा जा सकता है।

सफाई कार्य से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य रक्षा

यह भी देखने में आया है कि सफाई व्यवस्था से जुड़े लोग कभी-कभी टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध के संग्रहण आदि कार्य में लगे लोगों को मास्क, दस्ताने, आवश्यक जूते इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं जिससे अपशिष्ट के कीटाणु से रोग फैलने के खतरे पर अंकुश लग सके।

गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना

यह भी देखने में आया है कि शरारती तत्व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करते रहते हैं एवं खाने पीने का सामान फेंक देना, प्लास्टिक की थैलियों को खुले में छोड़ देना आदि आम बात है। इन सब घटनाओं में अपशिष्ट प्रबंध संग्रहण का कार्य न केवल कष्टकर वरन् अत्यंत दुरुह बन जाता है एवं इस प्रकार की घटनाएं अगर नहीं रुक पाती हैं तो उससे ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है क्योंकि इस पूरी प्रणाली की मुख्य सफलता प्रभावी संग्रहण एवं जनमानस के सहयोग पर निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गंदगी फैलाने वाले लोगों पर 'आन दि स्पाट' जुर्माना किया जाए जिससे इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

जनता की सहभागिता एवं जन चेतना

ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की सफलता का रहस्य जनसहभगिता एवं जन चेतना में छुपा हुआ है। यह जरूरी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों में गैर-सरकारी संगठनों, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसियेशिनों, हेल्थ सेंटरों आदि की सक्रीय सहभागिता शहरी स्थानीय निकायों के साथ ही जिससे कार्यक्रम की सफलता शत प्रतिशत हो सके। इसके साथ ही, जनमानस को ठासे अपशिष्ट प्रणाली के फायदों से परिचित कराने के लिए समय-समय पर कैंप तो लगाए जाए, साथ ही मीडिया की मदद से इस प्रणाली की उपयोगिता एवं जनमानस को होने वाले लाभों तथा राष्ट्र हित से भी भलीभाँति परिचित कराया जाए, जिससे जनमानस का सहयोग सभी स्तरों पर प्राप्त हो सके।

पुस्तक विमोचन की एक झलक

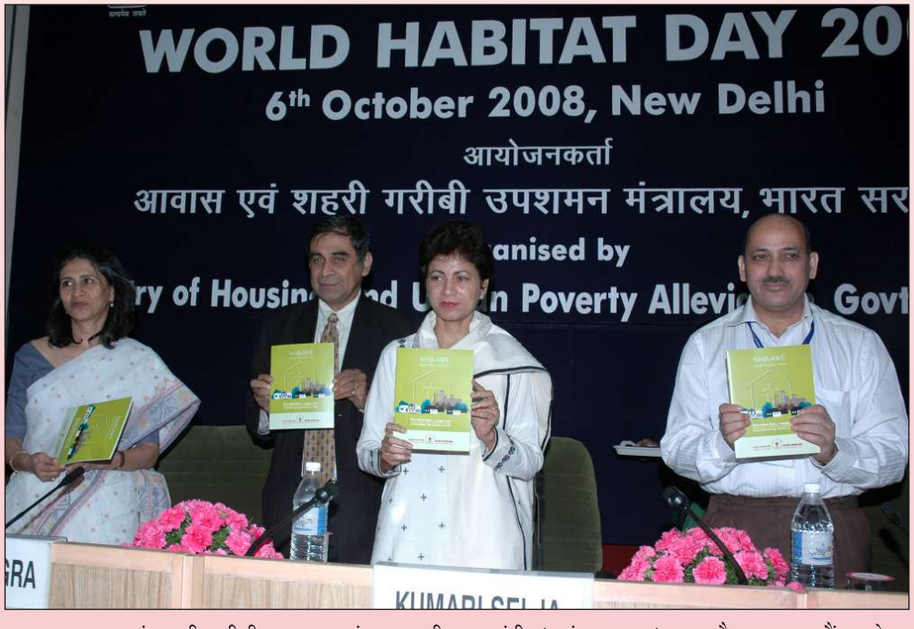

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) कु. शैलजा द्वारा बैंक के प्रकाशनों का विमोचन एवं साथ में खड़े हैं रा.आ. बैंक के अ. एवं प्र. निदेशक श्री एस. श्रीधर तथा अन्य सदस्यगण

आवास की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक का जन्म

संजीव कुमार सिंह
सहायक प्रबंधक

मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएँ हैं- रोटी, कपड़ा एवं आवास या घर। जैसे-तैसे दिन में मनुष्य अन्न तो प्राप्त कर लेता है, फटे कपड़े में रहकर गुजारा भी कर लेता हैं लेकिन आवास यानी 'घर' के बिना वास्तव में उसका जीवन पशु या कीड़े के समान होता है। आवास ऐ ऐसी आवश्यकता है जो समाज में निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लिए आवश्यक है।

''घर'' शब्द सुनते ही हमारी कल्पना शक्ति उस स्थान की कल्पना करती है जो चार दीवारी और छत से ढकी हो, जहाँ मनुष्य शान्तिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सके तथा स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके।

घ्र कहने को तो दो अक्षरों का योग है लेकिन इन दो अक्षरों को दिलों में समाये हुए न जाने कितने लोग जीवन मृत्यु के द्वार पहुँच गये और अपनी अंतिम इच्छा ''अपना घर'' न बनवा सकें।

सर्वप्रथम मनुष्य ने आवास के लिये गुफ तथा कुटिया का प्रयोग करना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने महसूस किया कि सुरक्षित रहने के लिए चारदीवारी और छत से घिरा हुआ स्थान ही आवास है और जैसा कि हम जानते हैं कि ''आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है'' इसी आधार पर आवास की महत्ता महसूस होते ही आवास के भिन्न-भिन्न रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होते रहे।

मनुष्य ने गुफाओं में जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया किन्तु कृषि कार्य आरम्भ करने के कारण उसे गुफाओं को त्यागना पड़ा और उसने खेतों के समीप ही घास-फूस की झोपड़ियाँ तथा मिट्टी के घर बनाकर रहना प्रारम्भ किया जिससे बस्तियों का विकास हुआ जो कि बाद में गाँवों और शहरों के रूप में विकसित हुए।

धीरे-धीरे मनुष्य ने झोपड़ियों के बाद भवन निर्माण की कला का भी विकास किया। भवन निर्माण के लिए उन्हें मुलायम तथा चिकनी मिट्टी सरलता से मिल जाती थी। इस प्रकार मिट्टी से कच्ची तथा पक्की ईटें बनाकर सुन्दर भवनों का निर्माण होने लगा।

विकास के साथ-साथ मकानों के निर्माण में रोशनदानों व खिड़कियों की व्यवस्था इस प्रकार जी जाने लगी कि अन्दर के कमरों तक वायु तथा प्रकाश पहुंचने लगा तथा दीवारों की सजावट के लिए फूल-पत्तियाक तथा मूर्तियाँ बनायी जाने लगीं। मनुष्य ने ईंट व चूना-पत्थर से मंदिरों व महलों तथा किलों को बनाना प्रारम्भ किया। प्राचीन मंदिर, महलों व दुर्गों के अवशेष इसका प्रमाण हैं।

मुगल काल आते-आते सफेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग होने लगा। मुगल स्थापत्य में अर्द्ध गुम्बदीय शैली का भी प्रयोग किया जाने लगा, यह शैली ईरान की देन है जो बाद में मुगल इमारतों की खास विशेषता बन गयी।

इसके पश्चात् अंग्रेजों के शासन काल में बड़ी -बड़ी हवेलियों का स्थान कुछ छोटी-छोटी कोठियों ने लिया; लेकिन आवास की आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है जो कि सभ्यता के आरम्भ से लेकर आज तक बनी हुई है, बस, आवास की संरचना में परिवर्तन होता रहा है।

मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भिन्न-भिन्न प्रकार के आवास बनाये जाते रहे हैं लेकिन समाज का उच्च वर्ग तो अपनी इस मूलभूत आवश्यकता को अपने धन, वैभव के बल पर पूर्ण कर सकता है और निम्न वर्ग के लिए उसका स्वयं का आवास हो, उसकी अपनी छत, अपनी चार-दीवारी हो यह महज एक स्वप्न है।

वास्तविकता भी यही है कि घर का अगर महत्व पूछा जाये तो घर का सही अर्थ या महत्व तो वही बता सकता है जिसने हर पल इसी उम्मीद, विश्वास पर जिया है कि कल उसका अपना एक सुन्दर व छोटा घर होगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षों में इस समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। एक तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें और दूसरी तरफ झोपड़ पट्टी, ऐसा विसंगतिपूर्ण दृश्य हर शहर व कस्बें में देखा जा सकता है।

विश्वभर में आवास की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1987 को अपने प्रस्ताव (क्रमांक 37/221) के अनुसार ''अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष'' के रूप में घोषित भी किया था। दुनिया का ध्यान इस समस्या की ओर लाने के लिए ही तो आवास वर्ष घोषित किया गया था दुनिया को जनसंख्या से करीब 20 प्रतिशत लेग

आवश्यकता से अधूरे आवास में रहते हैं तो करोड़ों लोगों को रहने के लिए मकान ही नहीं है। प्रत्येक वर्ष बढ़ने वाली जनसंख्या एवं निर्माण होने वाली आसा व्यवस्था की दर के बीच लम्बी खाई बनती जा रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात् आवास व्यवस्था के लिए पंचवार्षिक योजना में विशेष बल न दिये जाने के कारण आज आवास की समस्या गंभीर हो गई है। अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व में भारत झुग्गी झोपड़वासियों का सबसे बड़ा देश होगा। मुंबई जिसे हम भारत की अर्थ-नगरी कहते हैं वास्तव में उसे झुग्गी-झोपड़ी वालों की नगरी कहा जाना चाहिए क्योंकि इस शहर की 45 प्रतिशत जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती है। यहाँ की 'धारावी' विश्व की सबसे बड़ी झोपड़ पट्टी बस्ती है।

अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष घोषित होते ही अनेक राष्ट्रों ने अपने-अपने प्रदेशों में अनेक योजनाएँ कमजोर वर्गों हेतु घोषित की। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष के महत्व को देखते हुए मकान बनाने के लिए कई करोड़ रूपयों की योजना घोषित की गयी। प्रस्तुत योजना में पचास लाख मकान बनाने का संकल्प लिया गया। इसमें से ज्यादातर मकान अल्पसेवितों, असेवितों तथा कमजोर वर्गों हेतु सुरक्षित रखे गये थे।

इन कमजोर वर्गों के लिए स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी बनाने हेतु सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम द्वारा आवास की व्यवस्था अलग-अलग एजेन्सी द्वारा शुरू की है - जिनमें प्रमुख हुडको, सिडको, हाऊसिंग बोर्ड, बीमा निगम, कोऑपरेटिव द्वारा बेघरों के लिए मकान ही व्यवस्था की जा रही है।

एक अध्ययन के अनुसार प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में कहा गया -

''सीमित तथा बहुत कम भूमि, बढ़ती हुई निर्धानता, भूमिहीन किसानों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या, बार-बार उत्पन्न होने वाली सूखे एवं बाढ़ की स्थिति, भूमि की उत्पादकता का कम होना, मजदूरों का अन्य अल्प वेतन भोगी, बेरोजगार, लगातार बढ़ रही कर्जदारी लोगों को आवास रहित, पशुतुल्य जीवन व्यतीत करने पर विवश कर रही है।''

आवास के लिए उपयुक्त स्थान न होने के कारण देश के सभी नगरों में पटरियों तथा खानी शहरी भूमि में रहने वालों की संख्या बढ़ गई है। बम्बई में ''चाल'', उत्तर प्रदेश में 'अहाता,' बंगाल की 'बस्ती', मद्रास की 'चेरी' की स्थिति थाईलैण्ड के स्तम्भ की तुलना में कहीं अधिक बुरी है। बम्बई और कलकत्ता में 40 प्रतिशत मद्रास और दिल्ली में 30 प्रतिशत, अहमदाबाद में 30 प्रतिशत, हैदराबाद में 21 प्रतिशत, पूना व कानपुर में 17 प्रतिशत तथा बंगलौर में 12 प्रतिशत लोग इस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं।

सरकार का दावा है कि हमारे देश में विभिन्न बैंकों एवं अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस समस्या पर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं आवास का निर्माण करने के लिए निम्न ब्याज दर पर गृह ऋण दे रही हैं।

आवास के सम्बन्ध में ऋण देने का प्रयास सर्वप्रथम सकारी समितियों तथा देशी बैंकरों द्वारा किया गया। वर्तमान काल में राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियाँ जैसे -कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन लि., आईसीआईसीआई फाइनेन्स लि. आदि सहकारी समितियाँ गृह-ऋण का प्रबंन्धन कर रही हैं, समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गृह ऋण सम्बन्धी अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह हे कि क्या गरीब-निर्धन वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। जिसे रोटी खाने की जुगाड़ में पूरा जीवन लगाना पड़ रहा है वह बैंकों से ऋण लेने व चुकाने के बारें में कैसे सोच सकता है।

एक आवास बैंक के स्थापना की आवश्यकता

इस आवास-समस्या के निराकरण के लिए भी सरकार ने महसूस किया कि देश में आवश्यकता एक ऐसे बैंक की है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गृह निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना हो। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कृषि के विकास के लिए बैंक की स्थापना की गयी ठीक उसी प्रकार आवास समस्या के निराकरण हेतु, आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अनिवार्य रूप से महसूस की गई। जिसका कार्य बैंकों, आवास वित्त संस्थानों तथा सहकारी एवं सहायता समूहों संस्थानों को विनियंत्रित कराना भी हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 09 जुलाई, 1988 को संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत आवास वित्त संस्थानों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रधान संस्था (एजेंसी) के रूप में हुई थी। अधिनियम

कुछ उपलब्धियां

1998-89

- आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्त योजना
- भूमी विकास एवं आश्रय परियोजनाओं हेतु योजनाए
- आवास वित्त कंपनियों/भवन निर्माता सामग्री कंपनियों में इक्विटी भागीदारी की योजना

1989-90

- गृह ऋण खाता योजना
- आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) विनिर्देश, 1989
- यू.एस.एड सरकार आवास गारंटी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन डॉलर तक (पहले अंश/श्रृंखल में) बढ़ा हुआ ऋण

1990-91

- एक सरकारी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित

1991-92

- ओईसीएफ (अब जेबीआईसी) से 2,970 बिलियन येन की ऋण सहायता प्राप्ति
- ढांचागत आवास के वित्तपोषण के लिए योजना

1992-93

- स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजनाएं

1994-95

- प्रतिभूति रहित अनुबंध पत्रों (बांड) के निर्गमन की शुरूआत
- आवास वित्त कंपनियों के लिए विवेक सम्मत मानदंडों हेतु दिशा-निर्देश

1997-98

- स्वर्ण जयंती ग्रामीणआवास वित्त योजना
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास की वित्तीय सहायता हेतु कर रहित अनुबंध पत्रों को जारी करना
- एडीबी से 1997-98 में 20 मिलियन यूएस डॉलर तथा 1998-99 में 30 मिलियन यूएस डॉलर की राशि आहरित करना

199-2000

- कनाडा मॉर्टगेज एवं आवास के साथ देश में मार्टगेज इंश्योरेंस एवं नए उत्पाद को प्रारम्भ करने हेतु समझौता

2000-01

- देश में पहली बार प्रथम आवासी मॉर्टगेज समर्थित प्रतिभूतिकरण निर्गम
- इश्योरेंस व्यवसाय में आवास वित्त कंपनियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश
- गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण हेतु पुनर्वित्त योजना

2001-02

- आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी अनुबंध पत्रों की ऋण वृद्धि

2002-03

- आवास ऋणों हेतु उन्मुक्त पुनर्वित्त योजना

2004-05

- आरएमबीएस के लिए पहली बार उपलब्ध कॉर्पोरेट गारंटी
- माइक्रको (लघु) वित्त संस्थानों हेतु ऋण देने का नया गवाक्ष (विंडो)

2005-06

- आवास ऋणों पर की जाने वाली धोखाधड़ी के सूचना प्रसार हेतु धोखाधड़ी प्रबंधन इकाई की स्थापना

2006-07

- राष्ट्रीय आवास बैंक रेजीडैक्स की शुरूआत (पहला आधिकारिक आवसीय मूल्य सूचकांक)
- समाज के अल्पसेवित एवं असेवित वर्ग के लिए नए उत्पाद का विकास
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु रिवर्स मॉर्टगेज ऋण
- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादशीज्ञ आवास अर्थात् ग्रामीण परिवारों के लिए संयुक्त ऋण (आवास एवं उत्पाद हेतु)
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों हेतु टॉपअप ऋण हेतु पुनर्वित्त
- नई ग्रामीण आवास वित्त कंपनियें में इक्विटी भागीदारी

2007-08

- 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ ग्रामीण आवास निधि बनाई गई
- ग्रामीण आवास लघु वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) की शुरूआत
- गरीब समर्थक आवास वित्त पर एनएचबी - युनीस्कैप अध्ययन सात एशियाई देशों के द्वारा प्रारम्भ
- आवास के लिए जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यू एन हैबिटेट के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
- आवास ऋण परामर्श : डिप्लोमा कार्यक्रम (आईआईबीएफ) प्रारंभ

राष्ट्रीय आवास बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्न हेतु अधिकार प्रदान करता है:-

- आवास वित्त संस्थानों हेतु उनकी ठोस दिशा पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विर्निदेश जारी करना।
- आवास क्रियाकलापों हेतु अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त सस्थानों, राज्य सहकारिताओं तथा ग्रामीण बैकों अथवा केन्द्र सरकार अधिसूचित किसी अन्य संस्थान के लिए ऋण अथवा अग्रिम के रूप में या किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- झोपड-पट्टी (स्लम) निकासी हेतु ऋण और अग्रिम देना।
- संसाधनों के संग्रहण तथा आवास के लिए ऋण के विस्तारण के उद्देश्य हेतु योजनाओं की सरंचना करना।
- राष्ट्रीय आवास बैंक के निष्पादन हेतु तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं -
- आवास वित्त कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षरण करना।
- आवास वित्त बाज़ार का विकास एवं प्रोत्साहन।
- आवास विस्तारण हेतु मुख्यत: बैंकों, आवास वित्त कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों, सार्वजनिक एजेंसियों आदि के लिए वित्तीय सहायता देना।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई-

क. एक ठोस, स्वस्थ, व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त व्यवस्था को बढ़ावा देना जो समाज के सभी वर्गों को सेवाएं दे और समग्र वित्तीय प्रणालियों के साथ आवास वित्त प्रणाली के संगठित करे।

ख. विविध प्रेक्षेत्रों तथा विभिन्न आय समूहों की समुचित सेवा हेतु आवास वित्त संस्थानों को समर्पित एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करना।

ग. इस सैक्टर के लिए संसाधनों को बढ़ाना तथा उन्हें आवास के लिए प्रणालित करना।

घ. आवास ऋण को और अधिक वहन योग्य बनाना।

ड. अधिनियम के अंतर्गत संचालित विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरण पर आधारित आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।

च. भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के संवर्धन को प्रोत्साहित करना और इसके साथ ही आवास के लिए भवन निर्माण सामग्री को बढावा देना तथा देश में आवास सूचकांक को प्रोन्नत करना।

छ. आवास हेतु, तामील (अधिकृत) भूमि के आपूर्तिकर्ताओं एवं सुविधादाताओं के रूप में उभर कर सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

रा.आ.बैंक के केन्द्रीभूत लक्ष्य क्षेत्र

- उद्देश्य : आवास के लिए वित्तीय सहायता
- आवास वित्त प्रणाली को विकसित एवं विस्तारित करने की आवश्यकता हेतु आवास में वित्तीय सम्मिलन
- अल्पसेवितों एवं असेवितों के लिए सांस्थानिक ऋण के उत्प्रेरण पर संकेन्द्रण
- बाज़ार विकास
- ग्रामीण आवास
- शहरी पुनर्नवीकरण
- क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त संस्थाओं के प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण द्वारा भारत में सशक्त एवं स्वस्थ आवास प्रणाली का कार्यकलाप सुनिश्चित करता है तथा वित्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी प्रतिबद्धता में नव परिवर्तन एवं सेवा की गुणवत्ता और मैत्रीपूर्ण एवं सहभागी कार्य वातावरण में कार्यरत अधिकारीगणों के साथ आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति के लिए भी जाना जाता है।

जब लोग आवास से संबंधित वित्तीय सेवाओं के बारे में विचार करते हैं तो उनके मन में राष्ट्रीय आवास बैंक का नाम उभरता है।

सबके लिए शिक्षा : वैश्विक प्रयास व भारत का सर्वशिक्षा अभियान

– आदित्य शर्मा
उप प्रबंधक

वर्ष 2000 में डाकार घोषणा के अनुसार जब दुनियाभर के अधिकतर देशों ने नई शताब्दी में चरण रखते हुए प्रतिबद्धता दिखाई कि 2015 तक सबके लिए शिक्षा''(एजुकेशन फॉर ऑल) प्राप्त करना है तो उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ बसके लिए शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को समय की कसौटी मानकर पूरा करना होगा।

दुनिया भर के अनेक गरीबतम देशों ने महत्वपूर्ण रूप से सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा एवं लैंगिक समानता के क्षेत्र में बढ़त दर्ज कराई है। लेकिन अभी भी मंजिल बहूत दूर है। बहुत सारे देशों में यह प्रगति बहुत धीमी और असमान भी है। यहाँ पर अब एक स्पष्ट एवं प्रस्तुत खतरा यह है कि कुछ प्रमुख लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएंगे। इस खतरे को रोकना महत्वपूर्ण है; सिर्फ इसलिए नहीं कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है; बल्कि इसलिए भी कि यह शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य, वैयक्तिक आय, पर्यावरण स्थिरता, तथा आर्थिक वृद्धि के सुधार हेतु एवं सहसाब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढाने के लिए भी निर्णायक है।

सबके लिए शिक्षा, वैश्विक निगरानी रपट (ई एफ ए ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट) के नवीनतम संस्करण में सरकारों, दानदाताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी पेश की गई है। जिसके अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियों के चलते वर्ष 2015 तक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे इतनी खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा पर रहे हैं कि वे बिना किसी आधारभूत साक्षरता एवं गणना विषयक कौशल के स्कूलों को छोड़ रहे हैं इसके साथ ही समृद्धि, लिंग, स्थान, मानव जाति तथा लाभ न प्राप्त कर पाने के अन्य प्रतीक पर आधारित गहन एवं निरंतर विषमताएँ शिक्षा की प्रगति में प्रमुख बाधा के रूप में काम करती हैं। यदि दुनियाभर की सरकारें सबके लिए शिक्षा पर गंभीर है तो उन्हें असमानताओं को दूर करने के लिए और अधिक गंभीर हो जाना चाहिए।

यह रिपोर्ट विश्वसनीय रूप से तर्क देती है कि सबके लिए शिक्षा एजेंडा (कार्य सूची) का केन्द बिन्दु निश्चित रूप से समानता होना चाहिए ताकि बढ़ती असमानता को समाप्त करे। इसमें वित्तीय सहायता एवं अभिशासन सुधार एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। विकासशील देशों की सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रही हैं और दानदाता भी अपनी वचनबद्धता को नहीं निभा पाए हैं। व्यापक तौर पर कम आय वाले देशों की शैक्षिक प्रत्याशा हेतु शिक्षा सहायता में ठहराव एक गंभीर चिंता का विषय है। सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के क्रम में इसे स्पष्ट रूप में बदलना ही है। लेकिन समानता के बिना वित्तीय सहायता में वृद्धि अत्यधिक जोखिम घेरे वाले एवं लाभ रहित समूहों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाएगा। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा नीति में गरीब समर्थक नीति अनिवर्चनीय है ताकि दुनिया भर के स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों तथा करोड़ों वयस्क निरक्षरों के लिए इसकी एक सार्थकता हो।

सितंबर 2008 में, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के उच्च स्तरीय समारोह में दुनिया के नेताओं एवं व्यापक परिधि के भागीदारों ने शिक्षा हेतु गरीबी – निरोधी लक्ष्यों तथा प्रतिभूतित अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धि की भूमिका पर जोर डाला था। यदि दुनिया भर के बच्चों के लिए शिक्षा एक वास्तविकता बनानी है तो सरकारें एवं दानदाता को इन प्रतिबद्धताओं को न दमित कर लें, ऐसा सुनिश्चित करना काफी निर्णायक या महत्त्वूपर्ण है।

यह रिपोर्ट; सबके लिए शिक्षा लक्ष्य की दिशा में वार्षिक रूप से प्रगति पर निगरानी एवं आज दुनिया भर में शिक्षा की स्थिति पर एक विशद् विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय नीति निर्माताओं हेतु जटिल मुद्दों के विश्लेषण, सीख गए सब बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों (प्रौढ़ों) के लिए शिक्षा प्राप्ति (अधिगम) के समान अवसरों की संस्तुतियों को उपलब्ध कराती है। दुनिया भर के सभी देशों को उनकी धीमी प्रगति के बारें में आगाह भी करती है।

हम लोग अब 2015 के लक्ष्य की आधी मंजिल पर हैं। अगर मंजिल पानी है तो अत्यधिक दबाव की शैक्षिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी रणनीतियाँ को लागू करना होगा। इसके लिए यूनेस्को-एक अग्रणी यूनाइटेड नेशंस (सयुंक्त राष्ट्र) की संस्था ने सबके लिए शिक्षा प्रयास के साथी सभी देशों के साथ मिलकर के समन्वय के द्वारा वर्ष 2015 तक सही दिशा में चलकर कुछ हद तक लक्ष्य को पाया जा सकता है। वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में दुनिया के तमाम देशों के भांति भारत प्रयासशील है और इसी को ध्यान में रखकर सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत की है।

भारत का सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पोषित यह अभियान देश के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

''प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण'' की इस समयबद्ध योजना के अनुसार वर्ष 2002 तक (6-14 वर्ष आयु वर्ग के) सभी बच्चों को नामांकित करना तथा 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 एवं 2010 तक कक्षा 8 तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य रख गया है। इसके साथ ही बालिका शिक्षा, वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, लिंग समता, सामाजिक न्याय, जन सहभागिता, आदि को सर्वशिक्षा के अभियान में शामिल किया गया। इसके साथ ही, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा (एनपीईजीईएल), कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय तथा महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के द्वारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाकों में कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जा रहा है।

जन सहभागिता - इसके अंतर्गत शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की परिकल्पना की गई है जिसमें 4/5 सदस्य विद्यालय, शेष पंचायत, ग्राम प्रमुख या धर्म प्रमुख लोग हाते हैं। ये सब मिलकर शिक्षा के विकास संबंधी कार्यक्रमों का निर्णय लेते हैं।

सर्वशिक्षा को सफल बनाने के सुझाव

क. शाला मानचित्रीकरण एवं सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाए।

ख. ग्राम/शहर (वार्ड) स्तरीय शिक्षा एवं प्रबंधन समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु, चयन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर छोड़ी जाए।

ग. बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। जिला एवं ब्लॉक/तहसील स्तर के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को सदृढ़ बनाया जाए।

घ. शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संदर्भ संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाए त था उनका आधुनिक संदर्भ के अनुसार समय-समय पर ओरिएंटेशन भी किया जाए।

च. शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति की प्रक्रिया शीत/ग्रीष्मकाली अवकाश पर न्यायसंगत ढंग से की जाए। यदि संभव हो तो दूर-दराज के इलाकों में स्थित पाठशालाओं के शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जाए।

छ. ग्रामीण, पर्वतीय एवं कृषि-प्रधान क्षेत्रों हेतु सेवा समय एवं मौसम के अनुसार शैक्षिक कलैंडर विकसित किए जाए।

ज. बालिका शिक्षा हेतु अलग पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विधियां विकसित की जाएं।

झ. मदरसा शिक्षा को आधुनिकीकृत किया जाए।

ट. सर्वशिक्षा के साथ गै.स. संगठनों का सहयोग लिया जाए।

ठ. शिक्षा कार्यक्रमों एवं चयन प्रक्रिया को राजनीतिक दखल से बचाया जाए।

ड. वित्तीय प्रबंधन एवं बजट प्रावधान सरल, व्यावहारिक एवं जटिलता से रहित बनाया जाए।

ढ. सूचना प्रबंधतंत्र प्रभावी एवं पारदर्शी हों।

एक उपयोगितापूर्ण शिक्षा

शिक्षा को एक निश्चित श्रेणीबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को केवल एक कक्षा से दूसरी में उत्तीर्ण करने का सिलसिला मात्र न बनाया जाए बल्कि शिक्षा को बच्चे के अंदर छिपे कौशल को बाहर निकालने वाली एवं जीवन में व्यावहारिक होनी चाहिए। जैसे अधिकारहीन, सुविधाहीन एवं गरीब सामाजिक व आर्थिक परिवेश के बच्चे पेड़ों पर चढ़ना, जंगली उत्पाद चुनने, जलाऊ लकड़ी को जुटाने, पशुओं को चराने, प्रकृति के परिवेश के समझने, छोटे भाई बहनों को संभालने, कुएं व नल से पानी भरने, भीड़ भरी सड़कें पार करने, संचार साधनों का बेहिचक प्रयोग करने, नदियों में कुशलता मे तैरने आदि जैसे कौशल तो जानते हैं पर स्कूली परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

बच्चों की शिक्षा में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं?

- बच्चे की हर स्थिति में मानवीय गरिमा का अहसास हो। उन्हें अपनी क्षमताओं, सामर्थ्य, योग्यताओं एवं अनुभवों तथा अपने आप पर विश्वास करना आ सके।
- उनके शिक्षण व आकलन की प्रक्रिया उनके बचपन में बाधा न साबित हो। यह सभी शिक्षा प्रायोजनाओं एवं प्रक्रियाओं में समाहित हो।
- गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों के आकलन के साथ-साथ दैनिक जीवन के व्यावहारिक ज्ञान (जैसे सब्जियों, वनस्पतियों, खाद्यान्न वस्तुओं की जानकारी) का भी आकलन किया जाना चाहिए।
- लिंग, जाति, वर्ग व धर्म के प्रति पूर्वाग्रहों से बच्चों को बचाया जाना चाहिए। 'सर्व धर्म सम्भाव' व वसुधैव कुटुम्बकम्!' जैसे नीतियों को बढ़ावा देने वाला ज्ञान दिया जाना चाहिए।
- पर्यावरण अध्ययन, जैसे वहाँ की भूमि-सरंचना, मौसम, उपलब्ध जीव-जंतुओं की प्रकृति, वनस्पति के प्रकार, वहां के निवासी व उनका रहन-सहन, आचार-व्यवहार, काम-धंधे, उद्योग, उत्पादन व स्रोत तथा यातायात के साधन, आदि पर भी जोर दिया जाना चाहिए।
- बच्चों की रुचि जानकार कौशल को विकसित करना जैसे बच्चे गणित व विज्ञान अथवा पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं पर खेल-कूद, गायन-वादन, पेंटिंग जैसे विषयों में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, उन्हें इस दिशा में प्रेरित किया जाए एवं संसाधन उपलब्ध कराया जाएं।

- बच्चों की शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत तन, मन, धन-आंगन एवं विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता को पढ़ाकर एवं आदतों में ढाल कर सिखाया जाए। खाद्य पदार्थों को कैसे पोषक बनाएं, धूप से विटामिन-डी तथा फलों एवं स्थानीय सब्जियों को उगाने एवं प्राप्त करने का महत्व भी सिखाया जाए। खेल के पीरियड में इन बातों के साथ-साथ योग एवं व्यायाम व पी.टी. पर जोर दिया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार 75 प्रतिशत बीमारियों से अच्छी आदतों एवं स्वच्छता से बचा जा सकता है।

- बच्चों एवं शिक्षक के बीच डर का माहौल खत्म किया जाए और बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, जैसे कि-
- बच्चे को कक्षा में बोलने का मौका व उसकी बात ध्यान से सुनना।
- पाठ से हटकर अन्य चीजों पर चर्चा।
- बात-चीत में सम्मिलन, उपेक्षा से बचाव।
- रटे गए उत्तर की अपेक्षा बच्चे द्वारा दिए गए उत्तर को अधिक महत्व देना।
- कक्षा में कहानी, कविता, संस्मरण सुनाने का एक समय निश्चित करना।
- किसी चित्र या पुस्तक पर वर्णन करने को प्रोत्साहन देना।
- बच्चे की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाना।

बाल शिक्षा पर बंधन न हो

- कल्पना की उड़ान भरते समय बच्चे को पूरी ढील मिले तो उसकी कल्पना नए-नए आयामों की धुरी है। हर बच्चा कलाकार है, उसमें कोई न कोई कला जरूर होती है। बस जरूरत है बच्चे की कला को पहचानने की, बच्चे की कला को बच्चे की पारखी नजर से देखने की। बच्चों की दुनिया निराली है, जहां पेड़ों पर टॉफियां, ऊंचे पहाड़ो पर आइसक्रमी, नदियों में जूस और पौधों पर लॉलीपॉप होते हैं।
- कठपुतली, दृश्य एवं पुस्तके आदि के माध्यम से बच्चों में शिखा एवं ज्ञान के प्रति अभिरूचि पैदा की जाए।
- बच्चों को खेल-खेल में गणित पढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसे कि - सांप-सीढ़ी को नया रूप देकर, अंक सारणी में घटाव (-) व जमा (+) को डालकर या अंक सीढ़ी बनाकर गणना, जोड़-घटाव एवं भाग या साधारण गुणन-फल आदि सिखाए जा सकते हैं।
- बच्चों की पढ़ाई के साथ लिखावट और उसकी सुंदरता को प्यार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- बच्चों की शिक्षा में जीवन रक्षक गुर सिखाने पर जोर देना चाहिए। आग लगने, भूकंप आने, बाढ या भीड़ में भगदड़ मचने, बाज़ार-मेलों मे आपात स्थिति पैदा होने (किसी दुर्घटना या बम फटने जैसे स्थिति) पर बचाव के तरीके सिखाए जाने चाहिएं, जिसके लिए समय-समय पर स्कूल स्तर पर कार्यक्रम एवं प्रदर्शन किए व कराए जाने चाहिए। इसमें प्राथमिक उपचार सहायता (फर्स्ट एड), कहां और किसे सूचित करें, जैसे बातों को भी महत्व दिया जाए।

विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना

शारीरिक व मानसिक तथा दृश्य, श्रव्य एवं वाक् संबंधी विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में रखते हुए पढ़ने का प्रावधान जुटाना चाहिए।

समुदाय सहभागिता से प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षा में निम्न सहायता मिल सकती है :-

- पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ताओं (शिक्षुओं) को स्कूल तक लाना।
- बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- स्कूल में व बाहर बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों को मार्गदर्शन देना।
- स्कूली शिक्षा में समानता बनाए रखना।

  (पंचायते, ग्राम समितियां, पीटीए, एमटीए, युवक समितियों, आदि के द्वारा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा सकती है)।

बच्चों को होमवर्क से मुक्ति

- होमवर्क से बच्चे के अंदर तनाव।
- होमवर्क के प्राकृतिक विकास को बाधित करता है।
- होमवर्क बच्चे के बौद्धिक विकास में मदद नहीं करता है।
- होमवर्क के कारण बच्चों को खेलने का समय नहीं मिलता है और

अभिभावक खेलने से पहले होमकवर्क पूरा करने पर जोर देते हैं।

- बच्चे का अधिकतर समय होमवर्क पूरा करने में व्यतीत होता है।
- होमवर्क बच्चों को सामुदायिक भागीदारी से रोकता है।
- होमवर्क बच्चे की अधिगम पर बोझ डालता है।
- होमवर्क से जहां टीचर का काम घटता है, वहीं बच्चे को बढ़ता है।
- होमवर्क से बच्चे पिछले पाठों को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं।
- होमवर्क बच्चे की रचनात्मकात को प्रभावित करता है।

शैशवकालीन शिक्षा हेतु अंधी दौड़

पूर्व प्राथमिक या शुरूआती शिक्षा आज के दौरान एक अनिवार्यता बन गई है लेकिन जिस प्रकार से इसका व्यवसायीकरण किया गया है, वह गहन चिंता का विषय है।

आज अभिभावक 2-5 वर्ष के बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्ले स्कूलों में डालते हैं। शहरों व महानगरों में यह प्रवृत्ति तेजी से बढी है। एक प्रकार से, यह शिशु एवं बाल अधिकारों का हनन है। इसे मानवीय आधार पर तथा बाल विकास के पहलू को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाना चाहिए। अभिभावकों को निश्चित रूप से निम्न बातों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, किसी भी बच्चे को 6 (दिल्ली में 5) वर्ष से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए। यह शारीरिक व भावनात्मक वृद्धि के लिए जरूरी है।
- अभिभावकों को अपने बच्चों पर शिक्षा का बोझ प्रारम्भिक आयु में नहीं लादना चाहिए। पुस्तकों का बोझ शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है।
- बच्चे के सही विकास हेतु अभिभावकों को 5-6 वर्ष तक उचित देखरेख व खान-पान प्रदान करना चाहिए।
- उन्हें मालूम होना चाहिए कि माँ-बाप व बच्चे के बीच की दूरी, बच्चों के भविष्य को विध्वंसक बनाती हैं
- अभिभावकों को बच्चों के सामने परस्पर झगड़े से बचना चाहिए। उन्हें बच्चों के साथ प्यार व शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण पेश करना चाहिए।
- अभिभावकों को अपने बच्चों के क्रियाकलापों को सराहते हुए रचनात्मकता विकसित करनी चाहिए। बच्चों के प्रति उच्च आकांक्षा का आग्रह नहीं रखना चाहिए।
- उन्हें बच्चों को मारने-पीटने तथा उन्हें डराने-धमकाने से बचना चाहिए। उन्हें सहानुभूतिपूर्वक माहौल व प्यार से समझाया व सिखाया जाना चाहिए।
- बच्चे के भविष्य निर्माण में माता-पिता को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों पर 'क्या करें और क्या न करें' का बोझ से नहीं लादना चाहिए।
- अभिभावकों को अपने आवास के आसपास के स्कूलों में ही दाखिले की प्राथमिकता देनी चाहिए।

शिक्षकों में आवश्यक गुण

प्राथमिक शिक्षकों में किन गुणों को बढ़ावा दें या प्रशिक्षण में बताएं

- लिंग एवं बाल अधिकार के बारे में संवेदनशीलता।
- पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षा सामग्री से लिंग भेदभाव को मिटाना।
- पाठों के पढ़ाने की समय-सूची में लोच (फ्लैक्सिबिलिटी)।
- स्कूलों में खेल-कूल को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समुदाय को शामिल करने की क्षमता व भाव।
- प्रारम्भिक या बचपन की देखभाल व शिक्षा देने में संवेदी व रुचि।
- स्थानीय भाषा में पठन-पाठन व शिक्षण।
- वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- लिंग-विशिष्ट शिक्षा सांख्यिकी जुटाना।
- संयुक्त रणनीतियां बनाना।
- लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकाचार/प्रकृति।
- बच्चों के घरों के नज़दीक स्कूल का होना।
- घरेलू कामों के बोझ को बालक/बालिकाओं से कम करना।

यह है मुंबई नगरिया.....

- अमर सिंह सचान
हिन्दी अधिकारी

निश्चित रूप से हाल ही में देश की वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर हुआ आतंकी हमला देश की अर्थव्यवस्था पर भी हमला कहा जा सकता है। आतंककारियों के साथ करीब 60 घंटे चली मुठभेड़ में जहां एक ओर मुंबई में करीब चार हजार करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की कठिनाइयां और बढ़ने की आशंका है। अब स्थिति यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को आंतक और मंदी दो तरफ से खतरा है।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ महीनों से आतंककारियों ने लड़ाई का नया मोर्चा हमारे बड़े शहरों को बनाया है। चूंकि हमारे बड़े शहर वैश्वीकरण के दौर में हमारी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं, अतएव आतंककारी शहरों को निशाना बनाकर हमारी आर्थिक ताकत पर चोट कर रहे हैं। वर्ष 2008 में कई आतंककारी हमले हुए हैं। इन हमलों की ताकत और इनमें मरने वाले लोगों की भारी संख्या के साथ-साथ कारोबारी नुकसान भी लगतार बढ़ता गया है। चूंकि आतंकी हमले के देश में विकास की गति थमती है अत: इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे तो भारत में कारोबार करने की संभावनाओं पर भारी नकारात्मक असर पडेगा।

गौरतलब है कि मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद 27 नवम्बर को देश के शेयर बाजार और मनी मार्केट बंद रहने से करीब एक लाख करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। चूंकि नरीमन पाइंट, कोलाबा और बलाड एस्टेट देश के सबसे बडे कॉरपोरेट घरानों के इलाके हैं। दक्षिणी मुंबई कई बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का मुख्यालय है। अतएव इन क्षेत्रों में आतंकी हमलों ने व्यापार व्यवसाय को भारी ठेस पहुंचाई है। यद्यपि इससे पहले भी मुंबई में पिछले 15 सालों से बम विस्फोट एवं आतंकवाद की दूसरी घटनाएं कई बार हुई हैं, लेकिन इस बार जिस क्रूरता एवं निर्दयता का प्रदर्शन किया गया, वह वास्तव में लज्जास्पद एवं शर्मनाक है। इस सबके बावजूद मुंबई वासियों एवं पूरे देश ने जो एक जुटता दिखाई और एक स्वर में पूरे विश्व ने भर्त्सना की है, उससे भारत में प्रजातंत्र की जड़ें और भी अधिक मजबूत हुई हैं।

प्रजातंत्र की राह एवं प्रगति की दिशा में आतंकी ताकतें कितना ही जोर लगा लें, वे सफल नहीं हो पाएंगी। भारत की संस्कृति एवं सम्यता में सहनशीलता एवं क्षमा का भाव कूट-कूट कर भर हुआ है। हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई भी इसी देश का हिस्सा है। मुंबई के चार-पाँच सौ वर्षों का इतिहास बताता है कि उसे जितना नष्ट करने की कोशिश की गई वह उससे भी कहीं अधिक जोश एवं उत्साह से आगे बढ़ती गई। आइए मुंबई के पूर्व इतिहास पर एक दृष्टि डाल लें। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तथा मुंबई एवं इसके आस पास के क्षेत्रों सहित इसकी जनसंख्या 19 मिलियन है और यह विश्व का 5वां सघन जनसंख्यावाला महानगर है। यह भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थिति है। यहाँ का बंदरगाह प्राकृतिक रूप से गहरा है तथा भारत के लगभग आधा समुद्री व्यापार में भागीदारी निभाता है।

यह महानगर भारत का व्यावसायिक एवं मनोरंजन का प्रमुख केन्द्र है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पाद का 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत समुद्री व्यापार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के पूंजी लेन-देन में 70 प्रतिशत की भागीदारी निभाता है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ-साथ अनेक भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। यहाँ सभी धर्मों के अनुयायी एवं बहुभाषी लोग रहते हैं।

मुंबई की व्युत्पत्ति

मुबई शब्द की उत्पत्ति मुंबा अर्थात महाअंबा यानि कि मुंबादेवी नामक शक्ति की देवी से हुआ जिसका मराठी में तात्पर्य माँ अर्थात् आई से जुड़कर संक्षेप में मुंबा + आई अर्थात मुंबई बन गया जो कालांतर में पुतर्गालियों, डचों एवं अंग्रेजों के उच्चारण मुख सुख से बंबई बन गया। कुछ विद्वानों के अनुसार विदेशी लोगों मुंबा के साथ बे (खाड़ी) को जोड़ कर मुंबाबो और इसमें सरल बनाकर बांबे या बंबई कहना प्रारम्भ कर दिया। वैसे सन् 1516, 1525 तथा 1563 में कुछ ग्रंथों में मायअंबू, मोम्बइन तथा मोंबियम शब्द मिलते हैं जिन सबका मुंबा देवी से या मुवा बे (खाड़ी) से संबंद्ध लगता है। यूं तो मुंबई का इतिहास काफी प्राचीन है। यहाँ पर कुछ प्रमाण मिले हैं जो ई.पू. 250 में इस स्थल की विद्यमानता को प्रभावित करते है। यहाँ तब से मौर्य वंश के अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके बाद सात वाहन राजवंश राजवंश के शासकों ने 1343 ई. तक राज्य किया। इसी दौरान एलीफैंटा की गुफाएं एवं वाल्केश्वर मंदिर स्थापित हुए। इसके बाद इस्लाम के विभिन्न अनुयायियों का शासन रहा और 1534 में गुजरात के बादशाह बहादुरशाह का शासन रहा जिसने 1534 में पुर्तगालियों को यह समझौते के आधार पर व्यापार हेतु सौंप दिया। सन् 1661 में पुर्तगालियों के सम्राट ने इग्लैंड चार्ल्स दो के साथ अपनी बहन के विवाह के साथ इस स्थान को दहेज में भेंट कर दिया। इसके बाद मुंबई के विकास की असली कहानी शुरू होती है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साधन-सामग्री उपलब्धता की स्थिति ने सत्रहवीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग को अपनी जड़ें जमाने के लिए यहाँ आमंत्रित

किया। उस समय मुंबई समुद्र तट के निकट छोटे-छोटे द्वीपों का समहू मात्र था, जिसमें मुख्य रूप से मछुआरे (कोली) रहते थे। तटीय क्षेत्र को कोकर्ण के नाम से जाना जाता था और यह उत्तर से दक्षिण तक फैली पहाड़ियों (घाट) के कारण मुख्य भूमि से पृथक था। इन घाटों के आर-पार आना जाना कठिन था और ये घाट महाराष्ट्र के मैदानी इलाके (दक्कन का पठार) और तटीय क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के बीच अवरोधक का काम करते रहे थे। पुर्तगालियों के कब्जे से पूर्व द्वीपों के इस समूह का राजनीतिक या आर्थिक महत्व नहीं था। सोलहवीं शताब्दी के अंत में दक्षिण में मुगलों के राज्य-विस्तार तथा सागर के रास्ते डच लोगों के आने से भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति एवं उपस्थिति में कमी आने लगी। इन खतरों से मुकाबला करने के लिए पुर्तगालियों ने निजामशाही वंश के शासन मलिक अंबर के साथ गठजोड़ किया। अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों के आगे बढ़ने का खतरा और बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों को मुगल बादशाह के साथ समझौता करना पड़ा

इसके बाद इंग्लैंड के राजा ने दस पौंड स्टर्लिंग के वार्षिक किराए पर मुबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने की पेशकश की। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के अलावा किसी और बंदरगाह की तलाश में थी, क्योंकि वहां की परिस्थितियाँ व्यापार-विरोधी होती जा रही थीं।

शिवाजी ने दक्कन के मुख्य स्थान से धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। आज के गुजरात एवं महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को वे कुछ ही समय में जीतकर मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को खतरा पहुँचा सकते थे। अपने शासन के अंत तक शिवाजी मुबई में पुर्तगालियों के कब्जे वाले कुछ हिस्सों और इंग्लैंड की बस्तियों को छोड़कर पूरे कोंकण क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर चुके थें। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति पूणे स्थिति पेश्वा शासन में समावष्टि हो गई और अठारहवीं शताब्दी में यह तटीय क्षेत्र राजनीतिक रूप से उसी तरह पृथक हो गया जैसे कि भौगोलिक रूप में घाट के कारण हुआ था।

ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्वावधान में मुंबई में वस्त्र उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए गए; लेकिन वहाँ पर्याप्त संख्या में बुनकर न लाए जा सकने के कारण यह पहले सफल नहीं हो सकी। सात द्वीपों को जोड़नेवाली इस दलदली भूमि में बुनकरों की बेबसी, ऊब और एक तरह की कैद के सिवा कुछ दिया भी नहीं जा सकता। हालाँकि मुंबई में उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह का होना, उसकी एक विशेषता थी। इसके बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग करते हुए कंपनी मुंबई का विकास उद्योग के बजाय व्यापारिक केंन्द्र के रूप में परिणत करने में अधिक सफल रही। सन् 1687 में कंपनी ने पश्चिमी भारत में अपना मुख्यालय इस नई जगह में स्थानांतरित कर लिया। मुंबई से यूरोप को जानेवाला सामान काफी लंबे समय तक सूरत से या गुजरात से आता था। पहले सूती वस्त्र का व्यापार होता था; लेकिन अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इसकी जगह कच्चे कपास ने ले ली। सन् 1759 में मुंबई के शासकों ने मराठों की मूक सहमति के साथ सूरत पर आक्रमण कर दिया, जिससे इस बंदरगाह पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। मुंबई की प्रमुखता बढ़ने से कुछ समय बाद सूरत का महत्व समाप्त हो गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल रहे और मराठा साम्राज्य के उपाधिकारी शासक बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि का समाप्त होना (दिसंबर 1802) भी सके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब पेश्वा लड़खड़ाते मराठा साम्राज्य को सँभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए अंग्रेजों से सैन्य सहायता माँगी। उस समय अंग्रेजों ने पूणे (छावनी) में अपना सैनिक अड्डा बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। इससे उन्हें सैन्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिला। कुछ वर्ष बाद ब्रिटिश सेना ने पेशवा को परास्त करके उनके अधिराज्यों पर कब्जा कर लिया। इन अधिराज्यों को आपस में मिलाकर मुंबई महाप्रांत की स्थापना की गई।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मुंबई बंदरगाह में व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस व्यापार-वृद्धि में जो कारक तत्त्व सहायक रहे, वे हैं - इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल (कपास) की बड़े पैमाने पर आपूर्ति, भारत में रेल-निर्माण और सन 1861 में स्वेज नहर की शुरूआत, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच समुद्री रास्ते की दूरी और यात्रा का समय कम हो गया। ब्रिटेन को पर्याप्त मात्रा में कपास की आपूर्ति करने के लिए यह जरूरी थी कि कपास उगानेवाले क्षेत्रों मे आना-जाना आसान हो। इस जरूरत से सड़क और रेल-निर्माण में तेजी आई। जब कपास आने लगी तो मुंबई का एक बंदरगाह के रूप में विकास होने लगा।

'मुंबई विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिला-जुला रूप बन गया। यह आप्रवासियों का शहर था, जिनकी संख्या सन् 1661 में 10,000 थी जो 1675 में 60,000 हो गई और 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थापित किया। सन् 1817 से यह स्थान व्यापारियों एवं उद्योगो के केन्द्र के साथ में उभरने लगा। सन् 1872 में इसकी आबादी छह लाख चौवालीस हजार चार सौ पाँच थी, जो सन 1921 में बढ़कर दस लाख से ऊपर हो गई। यहाँ के निवासियों की विविधता से मुंबई का महानगरीय स्वरूप सामने आया।

मुंबई में सन् 1870 से पहले स्थापित तेरह सूती मिलों कम से कम नौ मिले पारसियों ने प्रारंभ की। सन 1925 में बॉम्बे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के एक सौ पिचहत्तर में से उनचास निदेशक पारसी थे। इस शहर की ओर झुकाव, उच्च शिक्षा और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के कारण पारसी फैक्टरी या खेती में कामकाज करने के बजाय व्यापार, बैंकिग या लेखा-बही के क्षेत्र में रोजगार चाहते थे।

प्रारम्भ में मिल मालिक ब्रिटिश तकनीशियनों को मुंबई में लाए थे; लेकिन ये यहाँ की स्थानीय भाषा से अनभिज्ञ थे। इसी कारण इन्हें ऐसे दुभाषियों की मदद लेनी पड़ी जो अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं के

जानकार थे तथा तकनीकी समस्याओं की समझ रखते थे। दुभाषिये के रूप में ये सहायक स्वभाविक रूप से पारसी ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश तकनीशियनों के जाने के बाद मिलों में अपना कैरियर शुरू किया।

एक व्यक्ति ने 19वीं सदी में अपने ज्ञान का लाभ उठाया। वह व्यक्ति था पारसी नानाभेय दावर, जिसने कई समृद्ध व्यापारियों को एक साथ लाकर पहली कपड़ा मिल 'बाम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी' की नींव रखी। तारदेव में स्थित इस मिल ने सन् 1856 में उत्पादन शुरू किया। इसके उत्साहजनक परिणाम मिले, जिससे कुछ वर्ष बाद दूसरी मिल भी शुरू हो गई। लगभग उसी समय मुंबई के अन्य व्यावसायियो ने कपड़ा मिलें शुरू करने की योजना बनाई, जो 'ओरिएंटल स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी' के रूप में साकार हुई। इसने सन् 1858 में काम करना प्रारंभ किया। इन मिलों की स्थापना से अन्य उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हुआ और सन्! 1874 में मुंबई में सत्ताईस कपड़ा मिले लग चुकी थीं। शताब्दी के अंत में इनकी संख्या अस्सी को पार कर गई।

देश की आजादी आने तक मुंबई व्यावसायिक राजनीतिक एवं औद्योगिक गतिविधों का केन्द्र बिंदु रहा और हर क्षेत्र में तेजी से फला फूला। 1947 में आजादी के बाद बांबे स्टेट के नाम से राज्य बना और मुंबई उसकी राजधानी थी। इसमें महाराष्ट्र भाषी एवं गुजराती भाषी दोनों राज्य एक साथ थे। 1955 इस राज्य का भाषायी आधार पर पुनर्गठन किया गया और महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों हेतु तथा गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए दो राज्य बने। एक बार पुन: मुंबई अपनी नई पहचान बनाने के लिए मचली और इसे स्वायत्तता देने के नाम पर हुए समर्थन व विरोध के झगड़े में पुलिस फायरिंग में 105 लोग शहीद हुए। अंतत: 1 मई 1960 महाराष्ट्र की राजधानी बनाई गई। इसके बाद मुंबई की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2008 तक मुंबई ने हर क्षेत्र में जिस में जिस रफ्तार से प्रगति की है, वह शायद विश्व में कुछेक शहरों ने ऐसा किया हो। यहाँ बहुभाषी एवं बहुधर्मी लोगों ने परस्पर झगड़े, देंगे। सब कुछ किया और बाद में फिर से एक जुट होकर मुंबई की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाई। हालांकि कुछ क्षुद्र राजनीतिज्ञों एवं विदेशी तत्वों ने समय-समय पर घृणास्पद राजनीतिक दाँव पेंच खेले, पर मुंबई इन सबकों झेलकर आगे बढ़ती रही।

आज मुंबई की जनसंख्या अपने आस पास के इलाकों एवं शहरों के साथ लगभग दो करोड़ के आंकड़े को छू रही है। पिछले दस-पंद्रह वर्षों में इसकी पीठ पर कई तरह के घाव दिए गए, वे चाहे 1993 के दंगे हो या 1996 के बम विस्फोट या फिर हाल ही के वर्षों मे रेलवे के बम विस्फोट या फिर 26/11 का जघन्य अमानवीय कत्लेआम। यद्यपि इन सबसे मुंबई ही नहीं पूरा देश लहुलुहान हुआ है, पर यह है मुंबई नगरिया, जो हर जख्म को हँसकर सहते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाती है। मुंबई नगरिया ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व को भाई चारे एवं सर्वधर्म समभाव का अटूट संदेश दिया। जहाँ विदेशी भाड़े के आतंकियों द्वारा धार्मिक नफरत व दंगे फैलाने के लिए यह मानव हत्याओं का खूनी खेल खेला गया। पर वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। वे चाहे लाखों प्रयास करें पर भारत की सांस्कृतिक अंखडता एवं अनेकता में एकता के ताने बाने को कभी नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ भारतीय संस्कृति की गहन जड़ें समाई हुई हैं। यह वह संस्कृति है जिसने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे महापुरूषों को जन्म दिया है जिन्होनें कभी किसी का अहित नहीं किया और विश्व को सदैव सत्य की राह पर चलने व अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। निश्चित ही विश्व को यदि कई सहस्र वर्षों आगे तक जाना है तो हमारी भारतीय संस्कृति से सत्य एवं अहिंसा का पाठ सीखना होगा तथा ॐ शांति, शांति कहना होगा।

रा.आ. बैंक के एक और कार्यक्रम की झलक

बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों की वार्षिक बैठक में प्रस्तुतीकरण देते हुए मुख्यालय के अधिकारी

भारत के प्रदेश - महाराष्ट्र

– सुभाष
उप प्रबंधक

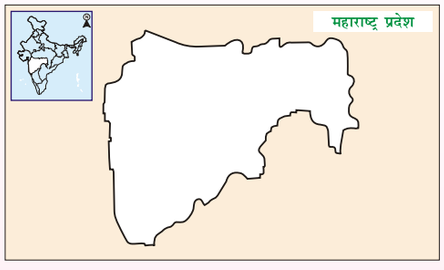

क्षेत्रफल	:	307,690 वर्ग कि.मी.	शहरी जनसंख्या	:	42.40 प्रतिशत
राजधानी	:	मुंबई	लिंगानुपात	:	922(प्रति 1000 पुरुष)
प्रतिव्यक्ति आय	:	6184 रु.	साक्षरता	:	76.9 %
जनसंख्या	:	96,878,627	पुरुष	:	76.0 %
			महिलाएं	:	67.0 %

महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी राज्यों में जाती है। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है।

महाराष्ट की जनसंख्या वर्ष 2001 में 96,752,247 थी, विश्व में सिर्फ 11 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। इस राज्य का निर्माण 1 मई, 1960 को मराठी भाषी लोगों की माँग पर किया गया था। मराठी ज्यादा बोली जाती है। पुणे और नागपुर महाराष्ट्र के अन्य मुख्य शहर हैं।

इतिहास और भूगोल

महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन (ई.पू. 230 से 225 ई.) थे जोकि महाराष्ट्र के संस्थापक थे। उन्होनें अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़ें हैं। उनके शासनकाल में मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई।

इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होनें सर्व-भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला तथा धर्म सभी दिशाओं में विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्तिचित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता में आए। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारो के अलावा महाराष्ट पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों के नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कायम किया।

हालांक बहमनी शासको ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को कुछ हद तक समन्वित किया, पर शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ और यह एक अलग पहचान के साथ उभरकर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोल कर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया।

स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यहीं हुआ। मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढाया। गांधीजी ने भी अपने आंदोलन का केंन्द्र महाराष्ट्र को बनया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी।

कृषि

महाराष्ट्र के लगभ 65 प्रतिशत श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। 2002-03 में 29.4 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र था। यहां की प्रमुख फसले हैं-धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, तूर, मूगं, उड़द, चलना और अन्य दलहन। यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें - कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां। राज्य में 13.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल, जैसे-आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू आदि की फसलें उगाई जाती हैं।

उद्योग

महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंन्द्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वर्पूा स्थान है। खाद्य उत्पाद, तंबाकू और इससे बनी चीजें, सूती कपड़ा, कपड़े से बना सामान, कागज और इससे बनी चीजें, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़, प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, मशीनें, बिजली की मशीनें, यंत्र व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कल-पुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2005-06 में औद्योगिक उत्पादन (निर्माण) वर्ष 2004-05 के मुकाबले 8.9 प्रतिशत अधिक रहा।

सिंचाई और बिजली

जून 2005 के अंत तक 32 बड़ी, 178 मंझोली और राज्य क्षेत्र की 2,274 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी थी। इसके अलावा 21

बड़ी और 39 मंझोली सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। 2004-05 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 36.36 लाख हेक्टेयर था। 2004-05 में महाराष्ट्र की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 12,909 मेगावइट थी। राज्य में प्लांट फैक्टर (पी.एल.एफ) 81.6 प्रतिशत था और बिजली उत्पादन 68,507 करोड़ किलोवाट घंटा था।

परिवहन

सड़कें : मार्च 2005 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2.29 लाख कि.मी. थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,367 कि.मी., प्रांतीय राजमर्गो की 33,406 कि.मी. प्रमुख जिला सड़कों की 48,824 कि.मी., अन्य जिला सड़कों की लंबाई 44,792 कि.मी. और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 97,913 कि.मी. थी।

रेलवे : भारत में सबसे पहले रेल मार्ग की शुरुआत मुंबई-थाने के बीच हुई थी। महाराष्ट्र में 5,527 कि.मी. रेल मार्ग है। इसमें से लगभग 78.6 प्रतिशत बड़ी रेल लाइनें, 7.8 प्रतिशत मीटर गेज तथा 13.6 प्रतिशत छोटी गेल लाइनें हैं।

उड्डयन : राज्य में कुल 24 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियों है। इनमें से 17 महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में हैं। चार हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण/भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं, जबकि बाकी तीन रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। राज्य सरकार के नियंत्रण वाले हवाई अड्डों पर अभी व्यावसायिक उड़ानों की सुविधा नहीं है।

बंदरगाह : मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। राज्य में दो बड़े और 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह हैं।

शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय

विश्विद्यालय : अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, भारतीय विद्यापीठ, पुणे : सेंट्रल इंस्टीटयूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई; डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूणे; डॉ. बाबा साहेब अम्बेदकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद; डॉ. बाबा साहेब अम्बेदकर टेक्नालोजी वर्सिटी, लोनरे; डॉ. पंजाब्राओ कृषि विद्यापीठ, अकोला; गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, मुंबई; इंदिरा गांधी इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंसेज, मुंबई; कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विशविद्यालय, रामटेक; कोकंण कृषि विद्यापीठ, दपोली; एम.जी. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विशविद्यालय, वर्धा; महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी; मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, पर्भानी; युनिवर्सिटी ऑफ बांबे, मुंबई; नागुपुर विश्वविद्यालय, नागपुर; नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव; युनिवर्सिटी आफ पुणे; शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर; एस.एन.डी.टी. वीमेन्स युनिवर्सिटी, मुंबई; स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड; इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई; तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, नासिक; एशिया का पहला खेल विशविद्यालय का पूणे में जनवरी 96 में उद्घाटन किया और इसी वर्ष मेडिकल युनिवर्सिटी को नासिक मे शुरू किया गया।

पर्यटन स्थल

यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं : अंजता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी और कारला गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगनी, जवाहर, मालशेजघाट, अंबोली, चिकलधारा और पन्हाला पर्वतीय स्थल। पंढपुर, नासिक, शिरडी, नांदेड़, औधानागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतिपूले, भीमशंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव, कोलहापरु, जेजुरी तथा अंबजोगई प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं।

प्रमुख जिलों का क्षेत्रफल

जिला	वर्ग कि.मी.	जिला	वर्ग कि.मी.	जिला	वर्ग कि.मी.	जिला	वर्ग कि.मी.
1. अहमदनगर	17,034	10. चन्द्रपुर	11,417	19. नासिक	15,339	28. शोलापुर	14,886
2. अकोला	5,431	11. धुले	8,061	20. उस्मानाबाद	7,550	29. थाणे	9,563
3. अमरावती	12,235	12. गढ़चिरौली	14,477	21. परभणी	6,511	30. वर्धा	6,311
4. औरंगाबाद	10,106	13. जलगांव	11,757	22. पुणे	15,637	31. यवतमाल	13,594
5. भंडारा	3,890	14. जालना	7,715	23. रायगढ़	7,162	32. नंदुरबार	5,035
6. बीड	10,692	15. कोल्हापुर	7,692	24. रत्नगिरि	8,196	33. वाशिम	5,150
7. मुंबई नगर	157	16. लातूर	7,166	25. सांगली	8,577	34. गोंदिया	5,430
8. मुंबई (उपनगर)	446	17. नागपुर	9,810	26. सतारा	10,475	35. हिंगोली	4,526
9. बुलढाणा	9,680	18. नांदेड़	10,545	27. सिंधुदुर्ग	5,222		

आवास के क्षेत्र का एक अग्रणी अंतराष्ट्रीय संस्थान: आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान

– किशोर कुंभारे
प्रबंधक

संस्थान का मिशन

नीदरलैंड का आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान, रोटेर्डम के एरास्मस विश्वविद्यालय से संबद्ध उतकृष्टता का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र है और वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहा है, जो निर्धनता कम करने और नगरों में जीवन स्तर सुधारने के लि मानव और संस्थागत क्षमताओं के विकास के मिशन के साथ नगर प्रबंधन, आवास एवं नगरीय पर्यावरण के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं, प्रशिक्षण, विशेषीकृत स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता है।

संस्थान का बेहतर नगर का सपना

नगर गतिशील होते हैं, वाणिज्य, रचनात्मकता, संस्कृति एवं रोज़गार के केन्द्र हैं। लोगों का संकेन्द्रण, आधारिक रचना और अपनी हदों के भीतर पूंजी को आर्थिक वृद्धि और विकास का वास्तविक इंजन बनाते हैं। तथापि, ये प्रसुविधाएं बहुधा द्रुत नगर विकास, प्रदूषण, मकानों की कमी, अनौपाचरिक भमि विकास और ग़रीबी जैसी समस्याओं से काट दी जाती हैं, इस पर भी, सुअभिशासित नगर इन समस्याओं को हल कर सकते हैं और नगरीय जीवन-स्तर बना सकते हैं।

नगर विकास के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण से संबद्ध एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते, आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान, नगरों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए कार्य कर रहे सरकार, ग़ैर-सरकारी संगठनों, प्रशिक्षण संस्थानों और निजी संगठनों के साथ सभी स्तरों पर भागीदारी करता है।

नगर विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यों में संस्थान का योगदान

नगर विकास के लिए क्षमता निर्माण करना एक प्रमुख कार्य है। अच्छे नगर वो हैं जहां आधारिक सुविधाएं विद्यमान हैं एवं नागरिकों को जीवन यापन में कोई भौतिक कठिनाई ना हो। पानी की उपलब्धता, सुगम और सामर्थ्य योग्य आवास, सुरक्षा, रोज़गार और अन्य स्थानीय एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक बार पैदा किए गए संसाधनों को बनाए रखने की ज़रूरत है। 1958 में स्थापित, आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान ने आवास, नगर प्रबंध और नगर पर्यावरणीय प्रबंधन तथा नियोजन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषता हासिल की है।

इन क्षेत्रों में, आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान निम्नलिखित के माध्यम से संगठनों एवं व्यक्तियों, दोनों की क्षमता निर्माण से सहायता प्रदान करता है :-

- प्रशिक्षण एवं शिक्षा
- संस्थान निर्माण
- परामर्श सेवाएं
- अनुसंधान
- उपयुक्त और समस्या समाधान मूलक प्रशिक्षण
- नेटवर्किंग

प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में अंशदान

प्रशिक्षण संगठनों की अंतर्शक्ति बढ़ाने और क्षमता सुदृढ़ करने के लिए एक सर्वाधिक कारगर तरीका है। आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रतिभागी और क्रिया-उन्मुख तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण का उद्देश्य आज की नगर विकास प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए ज्ञान (कार्य) कुशलता को बढ़ाना है। आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान के पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम अल्पकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को लेकर मास्टर डिग्री कार्यक्रम और विश्व के विभिन्न भागों से संदर्भ सहित बहुत अध्ययन प्रकरण प्रदान करने वाला पीएचडी कार्यक्रम तक हैं। स्नातकोत्तर एवं मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के भीतर प्रतिभागी या तो किसी डिपलोमा अथवा किसी डिग्री के किसी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम क्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा कुछ मामलों में कार्यक्रम के एक अथवा अधिक माड्यूल्स में भाग ले सकता है।

उपयुक्त और समस्या-समाधान मूलक प्रशिक्षण

विनिर्दिष्ट स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान, नीतियों और कार्यक्रमों के समर्थन के लिए, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण हेतु संगठनों के अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रतिभागी प्रशिक्षण ज़रूरतों का आकलन करता है। आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान नीदरलैंड्स और विदेश, दोनों में अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और आयोजित करता है। वर्धमानत: संगठन सेवाएं देने और परियोजना क्रियान्वयन में संस्थागत विकास और सुधार के लिए अपनी समग्र रणनीति के भाग के रूप में इस संस्थान के कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं। विषयों की विविधता, पाठ्यक्रमों की लचीली अवधि और समस्या-समाधान अभिमुखीकरण अवरित कार्यक्रमों से संबद्ध कर्मचारीवृंद के लिए सन्निहित समाधान प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों से जुड़ी सही सोपान व्यवस्था (''स्टेपिंग स्टोन'' सिस्टम), जो प्रतिभागियों को अल्पकालीन स्नातकोत्तर

प्रशिक्षण से मास्ट डिग्री पाठ्यक्रम और एक पूर्ण पीएचडी कार्यक्रम तक बढ़ने देती है, संगठनों को इस संस्थान की निरन्तर मिलने वाली सहायता से एक पूर्ण मानव संसाधन विकास की रणनीति क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करती है।

संकाय सहायता

आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान (आईएचएस) की गतिविधियों में ऐ विशेष स्थान ''संस्थान निर्माण'' द्वारा लिया जाता है। पिछले तीन दशकों से यह संस्थान चीन, कोलंबिया, तंजानिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, पोलैंड, घाना, मिश्र, ब्राज़ील, अल्बेनिया, बेलारूस, पेरू, क्यूबा, रोमानिया, वियतनाम, थाइलैंड एवं इथियोपिया में आवास एवं इससे संबधित विषयों पर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों के विकास में सहायता देने के अतिरिक्त, यह 'संस्थान' पुर्भिमुखीकरण, पुनर्गठन, नई भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों पर और वांछित परिवर्तन लाले के लिए प्रक्रियाओं पर सलाह देकर इन संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन में भी सहायता से मानव है। संस्थान निर्माण में इस संस्थान की सहायता से मानव संसाधन विकास एवं संगठनात्मक विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन करने तथा नीति सुसंगत अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ज़रूरतों और विकल्पों के विश्लेषण में अनुभव की एक विशाल रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

परामर्श सेवाएं

प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने और आयोजित करने के लिए अतिरिक्त, आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान (आईएचएस) के कर्मियों व्यापक ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करने वाली विभिन्न परामर्श एवं तकनीकी सहायता परियोजनाओं में व्यस्त हैं। इस संस्थान के कर्मचारी वास्तविक और संस्थागत निवेश की अर्थक्षमता के परीक्षण में आज के अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक निर्देश चिन्हित करने में और उन विकास प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहायता करते हैं, जो आवश्यक हो सकती हैं। अपने भागीदारों और सहयोजन साथ्यिों और अपने बहु-अनुशासन तथा बहुराष्ट्रीय कर्मचारियों के व्यापक कार्यसंजाल (नेटवर्क) के कारण, यह 'संस्थान' नगरों और संगठनों के सामने आई ढेर सारी शहरी समस्याओं और प्रश्नों को सलाह देने का कार्य करता है। यह 'संस्थान' अपनी परामर्श सेवाओं के आधार पर, एक विकासात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है और मानव कारक पर ध्यान केन्द्रित करके समाधान की आशा करता है। यह 'संस्थान' परामर्श सेवाओं को स्पष्ट एवं प्रभावी ज्ञान अंतकरण के जोड़कर काम करता है।

पिछले वर्षों में आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान ने निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त की है:-

- अनौपचारिक पुनर्वास उन्नयन
- स्थानीय आर्थिक विकास
- नगर की ग़रीबी कम करना
- सार्वजनिक निजी भागीदारी
- आवासीय परियोजना प्रबंधन
- स्थानीय कार्यसूची (एजेंडा)-21 की तैयारी व क्रियान्वन
- भूमि प्रबंधन
- शहरी पर्यावरणीय संघात का आकलन
- आवास नीति और वित्त आदि

अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, एशिया, केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप में निजी एवं गैर-सरकारी संगठनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के अतिरिक्त, इन वर्षों के साथ इस संस्थान के प्रमुख ग्राहकों में -

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इंटर अमेरिकन डवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, यूएनसीएचएस एवं यूएनडीपी सहित पहुपक्षीय अभिकरण, दि नीदरलैंडस, नॉर्वे, स्वीडन, स्विटज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंग्डम सहित बहुत से द्विपक्षी विकास अभिकरण शामिल हैं।

अनुसंधान

अनुसंधान उत्तम निर्णय लेने में सहायता के लिए अनिवार्य होता है। यह एक ऐसा साधन है, जो ज्ञान उत्पन्न करता है और पणधारियों (स्टेक होल्डरों) की भागीदारी जुटाने में सहायता करता है। शहरी कार्यकर्त्ताओं को उनके विनिश्चयों में अंतर्निहित धाराओं को सत्यापित करने के लिए वैध और विश्वसनीय अनुसंधान की ज़रूरत होती है। अनुसंधान के संगठन को समाधान की जाने वाली समस्या, दल बनाने और प्रदत्त समय तथा बजट के भीतर विश्वसनीय परिणामों पर पहुंचने के लिए एक सुनिर्मित प्रक्रिया की स्पष्ट समझ होनी आवश्यक है। आवास एवं नगर विकास अध्ययन संस्थान अनुसंधान के पास उसका अपना अनुसंधान कार्यक्रम है। जिसे कई देशों में परिचालित किया गया है व मानव बसाव व प्रबंध से संबंधित मुद्दों पर कई रिसर्च पेपर तैयार किए गए हैं।

नेटवर्किंग

इस संस्थान के पास एक शहरी विशेषज्ञों का कार्यसंजाल (नेटवर्क) है। यहाँ सहयोगी साथी और 80 से भी अधिक देशों के मध्य वृत्ति के 6,500 से भी अधिक व्यवसायियों का एक एल्युमनी नेटवर्क है जो इस 'संस्थान' में प्रशिक्षित किए गए हैं, जिन पर संस्थान का पूरा भरोसा है। इस बेहतर नेटवर्क की सहायता से यह संस्थान नगर प्रबंधन, आवास एवं नगरीय पर्यावरण के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसंधान विषयों पर बेहतर परिणाम लगातार प्रस्तुत कर रहा है और मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए कार्यरत है। अधिक जानकारी के लिए www.ihs.nl पर क्लिक करें।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अक्तूबर से दिसम्बर, 2008 तिमाही में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनका उल्लेख निम्न प्रकार है:

1. हाउसिंग माईक्रो फाइनॉस – कोलकाता में
2. ग्रामीण आवास पर कार्यक्रम – जयपुर में
3. आवास वित्त में नये उत्पादों पर कार्यक्रम – बैंगलुरु में

हैबीटेनमेंट क्विज

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर 3 अक्तूबर, 2008 को भारत पर्यावास केन्द्र के साथ मिलकर एक हैबीटेनमेंट क्विज का आयोजन भारत पर्यावास केन्द्र में अवस्थित कार्यालयों के लिए किया। इस आयोजन में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विजयी प्रतियोगियों को बैंक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. श्रीधर एवं भारत पर्यावास केन्द्र के निदेशक श्री लिब्रहन द्वारा पुरस्कृत किया गया।

रिवर्स मोर्टगेज केन्द्र की शुरूआत

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हैल्पपेज इंडिया के साथ मिलकर कोलकाता में रिवर्स मोर्टगेज परामर्श केन्द्र की शुरूआत की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की एवं रिवर्स मोर्टगेज योजना के बारे में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

नई नियुक्ति

बैंक में निम्न अधिकारियों ने सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया :

1. ललित गोयल
2. आर. किरण कुमार
3. रवि शास्त्री
4. धीरज कुमार
5. सचिन शर्मा

बैंक द्वारा आयोजित हैबिटेनमेंट क्विज के यादगार क्षण

कोलकाता में रिवर्स मार्टगेज परामर्श केन्द्र का शुभांरभ

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के तत्त्वावधान में गठित

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(संयोजक : पंजाब नैशनल बैंक, प्र.का., नई दिल्ली)

अंत: बैंक गृह पत्रिका प्रतियोगिता

वर्ष 2007-08

प्रमाण–पत्र

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्त्वावधान में आयोजित उपर्युक्त प्रतियोगिता में

राष्ट्रीय आवास बैंक : "आवास भारती" को

प्रथम पुरस्कार प्रदत्त।

राजीव दुबे
अध्यक्ष
दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

दिनांक 22.12.08

पंजी. सं. DELHI IN/2001/6138

राष्ट्रीय
आवास बैंक

कवर डिजाइन : नीति जैन/एक्युरेट प्रिन्टस : 9871196002

मुद्रण तिथि : 31 दिसम्बर, 2008